भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.*17

उत्तर देने की तारीखः 03.02.2021

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं

***17. ले. जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (रिटा.):**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं के मौजूद होने के बावजूद देश की गरीब जनता को अब भी चिकित्सीय, सामाजिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गरीब जनता में सामाजिक असुरक्षा की स्थिति होने के क्या कारण है; और

(ग) देश की गरीब जनता की मदद करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(श्री थावरचंद गेहलोत)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कल्याण संबंधी प्रयास उन सबसे अधिक गरीब परिवारों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित होते हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से समाज के कमजोर व वंचित वर्ग हैं जिनमें अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), वरिष्ठ नागरिकों, शराब और नशीले पदार्थों के पीडितों, ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त और घुमन्त जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को शामिल किया गया है। यह विभाग इन गरीब और कमजोर व वंचित वर्गों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके ब्यौरे **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न हैं। सबसे अधिक गरीब एससी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए, सरकार ने बजट में "अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन (एडब्ल्यूएससी)" किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न विभागों के लिए एडब्ल्यूएससी के अंतर्गत 83256.62 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए विभाग-वार आवंटन अनुबंध-II में दिया गया है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन 83,256.62 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 126259.20 करोड़ रुपए कर दिया है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण के अंतर्गत 51.65% की वृद्धि है। कल्याण के लिए बहु-क्षेत्रीय एवं अंत:-विभागीय आवंटन के परिणामस्वरूप, सरकार इन गरीब वर्गों में से अनेक वर्गों की आर्थिक बेहतरी के लिए पर्याप्त योगदान करने में समर्थ है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 03.02.2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम/योजनाएं	बजट आवंटन 2020-21
1.	एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2987.33
2.	एससी तथा ओबीसी के लिए नि:शुल्क कोचिंग	30.00
3.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	700.00
4.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढ़ीकरण	550.00
5.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	30.00
6.	एससी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	100.00
7.	अस्वच्छ व्यवसाय में जुटे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	25.00
8.	अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1200.00
9.	एससी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	300.00
10.	स्केवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी स्व-रोजगार योजना	110.00
11.	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	20.00
12.	एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	40.00
13.	एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	700.00
14.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	200.00
15.	नशीली दवा की मांग में कटौती करने संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00
16.	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	100.00
17.	ओबीसी के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	250.00
18.	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास हेतु सहायता	50.00
19.	ओबीसी के लिए बालक और बालिका छात्रावास	50.00
20.	ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1415.00
21.	विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास स्कीम	10.00
22.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	25.00
23.	ओबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु ब्याज में सब्सिडी	35.00
24.	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	120.00
	इस विभाग की सभी स्कीमों के लिए सकल योग	**9307.33**

राज्य सभा में दिनांक 03.02.2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) आवंटन 2020-21 (करोड़)	अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) आवंटन 2021-22 (करोड़)
1.	कृषि, सहकार और किसान कल्याण विभाग	22212.43	20322.89
2.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10270.00	9420.68
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8300.00	8542.51
4.	ग्रामीण विकास विभाग	7180.00	19258.82
5.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	7154.33	7751.62
6.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	5944.08	4832.40
7.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	4728.70	12973.79
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3552.60	1073.19
9.	उच्चतर शिक्षा विभाग	3210.00	3843.00
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1887.67	2092.60
11.	विद्युत मंत्रालय	1637.00	1477.60
12.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1216.86	712.07
13.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	850.48	911.78
14.	संचार विभाग	690.81	774.30
15.	पशुपालन और डेयरी विभाग	517.21	518.09
16.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	469.00	469.00
17.	कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय	402.55	371.67
18.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	387.83	233.44
19.	कपड़ा मंत्रालय	376.14	346.01
20.	भूमि संसाधन विभाग	371.62	356.91
21.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	328.52	564.93
22.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	265.77	242.00
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	251.30	218.91
24.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	207.42	223.00
25.	पंचायती राज मंत्रालय	144.04	152.30
26.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	132.80	117.82
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	109.00	146.00
28.	मत्स्य पालन विभाग	107.09	169.82
29.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	89.75	99.60
30.	आयुष मंत्रालय	71.00	71.00
31.	कोयला मंत्रालय	68.06	34.85
32.	संस्कृति मंत्रालय	48.00	37.78
33.	खान मंत्रालय	44.58	28.82
34.	वाणिज्य विभाग	25.00	25.00
35.	उपभोक्ता कार्य विभाग	4.98	3.70
36.	उर्वरक विभाग	-	6934.50
37.	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	-	32.00
38.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	-	20874.80
	कुल	**83256.62**	**126259.20**

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 41

(दिनांक 04.02.2021 को उत्तर के लिए)

मंत्रालयों में बैकलॉग रिक्तियां

* **श्रीमती छाया वर्मा:**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बीमा क्षेत्र, बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी संख्या में बैकलॉग रिक्तियां हैं जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को नियुक्त किया जाना है;

(ख) उक्त रिक्त पदों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बैकलॉग रिक्तियों के लिए की गई नियुक्तियों में आरक्षित पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बैकलॉग पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>"मंत्रालयों में बैकलॉग रिक्तियां" के संबंध में श्रीमती छाया वर्मा द्वारा दिनांक 04.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 41 के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क) से (ग) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों वाले दस मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने की प्रगति का अनुवीक्षण करता है। इन मंत्रालयों/विभागों में बैकलॉग रिक्तियां मौजूद हैं।

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के विभाग/मंत्रालय-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्नक-I, II और III पर दिए गए हैं।

(घ) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियां होने के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए आंतरिक समिति गठित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। वास्तव में, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे संपर्क अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए उसके सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करें।

संलग्नक-1

‘मंत्रालयों में बैकलॉग रिक्तियां’ के संबंध में श्रीमती छाया वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 04.02.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

09 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों (31.12.2017 तक की स्थिति के अनुसार) और भरी नहीं गई रिक्तियों (01.01.2018 तक की स्थिति के अनुसार) का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद	रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद	रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	डाक	353	129	224	218	37	181	305	109	196
2.	रक्षा उत्पादन	4889	3560	1329	4086	2428	1658	2812	2408	404
3.	वित्तीय सेवाएं	1790	559	1231	1923	815	1108	1987	707	1280
4.	परमाणु ऊर्जा	292	209	83	398	239	159	1444	933	511
5.	रक्षा	2579	1105	1474	1752	758	994	5287	1859	3428
6.	रेलवे	145	145	0	324	324	0	10	10	0
7.	आवास और शहरी कार्य	208	57	151	262	76	186	532	68	464
8.	शिक्षा	1556	423	1133	1225	333	892	2105	483	1622
9.	गृह	10391	4541	5850	8086	2703	5383	12466	6206	6260
	कुल	**22203**	**10728**	**11475**	**18274**	**7713**	**10561**	**26948**	**12783**	**14165**

संलग्नक-II

'मंत्रालयों में बैकलॉग रिक्तियां' के संबंध में श्रीमती छाया वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 04.02.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

07 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों (31.12.2018 तक की स्थिति के अनुसार) और भरी नहीं गई रिक्तियों (01.01.2019 तक की स्थिति के अनुसार) का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद	रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद	रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद
1.	रक्षा उत्पादन	7454	6515	939	6151	4805	1346	4566	4106	460
2.	वितीय सेवाएं	1920	1261	659	2238	1222	1016	2020	1013	1007
3.	परमाणु ऊर्जा	407	245	162	433	220	213	1406	781	625
4.	आवास और शहरी कार्य	250	135	115	270	102	168	707	401	306
5.	डाक	890	355	535	775	191	584	1396	879	517
6.	रेलवे	11674	4448	7226	8682	2431	6251	12614	3920	8694
7.	रक्षा	2290	1133	1157	1662	622	1040	3699	1262	2437
	कुल	**24885**	**14092**	**10793**	**20211**	**9593**	**10618**	**26408**	**12362**	**14046**

संलग्नक-III

<u>'मंत्रालयों में बैकलॉग रिक्तियां' के संबंध में श्रीमती छाया वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 04.02.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में संदर्भित संलग्नक</u>

06 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों (31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार) और भरी नहीं गई रिक्तियों (01.01.2020 तक की स्थिति के अनुसार) का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद	रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद	रिक्तियां	भरे गए पद	रिक्त रह गए पद
1.	डाक	1379	393	986	845	158	687	1090	426	664
2.	रेलवे	9767	4208	5559	7713	2250	5463	12061	5314	6747
3.	आवास और शहरी कार्य	259	141	118	272	124	148	720	431	289
4.	रक्षा उत्पादन	8604	6818	1786	7352	5647	1705	4692	4156	536
5.	रक्षा	1649	236	1413	1068	117	951	2732	529	2203
6.	परमाणु ऊर्जा	189	52	137	189	40	149	679	108	571
	कुल	**21847**	**11848**	**9999**	**17439**	**8336**	**9103**	**21974**	**10964**	**11010**

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 243

बुधवार, 3 फरवरी, 2021 / 14 माघ, 1942 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में शिकायत तंत्र

243 श्री संजय राउत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जो कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना संबंधी लाभ प्रदान करने से बचने हेतु नियमों को दरकिनार करती है, उनकी जाँच करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कौन से तंत्र का उपयोग कर रहा है; और

(ख) क्या ऐसी कंपनियों की शिकायतें प्राप्त करने और तत्पश्चात उनकी जाँच करने के लिए कोई प्रावधान/तंत्र है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाई गई योजनाओं में सभी पात्र कर्मचारियों को सदस्यता प्रदान करने और मासिक आधार पर इलैक्ट्रोनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) के माध्यम से देय राशि का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की वैधानिक रूपरेखा का उपबंध किया गया है।

प्रतिष्ठान की ईसीआर को समय पर दर्ज नहीं किए जाने की सांविधिक विफलता की स्थिति में, ईसीआर दर्ज किए जाने के लिए एसएमएस और ईमेल के माध्यम से 'एलर्ट' भेजे जाते हैं। यदि नियोक्ता एलर्ट्स का उत्तर नहीं देता है तो मामलों के ई-निरीक्षण किए जाते हैं जिसके पश्चात यदि आवश्यक हो, तो प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वास्तिविक निरीक्षण किए जाते हैं। ई-निरीक्षण का आवंटन श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) के माध्यम से किया जाता है और रिपोर्ट एसएसपी पर ईओ द्वारा दर्ज की जाती है। चूक के मामलों में ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 14ख, 7थ, 8ख और 14 के तहत अर्धन्यायिक कार्यवाही भी आरंभ की जाती है।

…जारी..2/-

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में इंटरनेट आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली ईपीएफआईजीएमएस उपलब्ध है, इसमें हितधारकों और व्यापक रूप से जनता को नियोक्ताओं के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराने और शिकायतों का अंतिम रुप से निवारण होने तक उनका पता लगाने/निगरानी करने की व्यवस्था है। ईपीएफआईजीएमएस को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की ईपीएफआईजीएमएस तक पहुंच हो सके। ईपीएफआईजीएमएस पर पात्र कर्चारियों के नामांकन न करने और नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें जांच तथा रिपोर्ट/ शिकायतकर्ता को उत्तर देने लिए आवंटित की जाती हैं। ऑफलाइन या इमेल विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के मामले भी समर्पित शिकायत डैशबोर्ड के माध्यम से अपलोड़ किए जाते हैं और इनकी निगरानी की जाती है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति द्वारा केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 244

बुधवार, 3 फरवरी 2021 /14 माघ 1942 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निपटान तंत्र

244 श्री संजय राउतः

क्या **श्रम एवं रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भारतीय प्रतिभूति और विनियमक बोर्ड (सेबी) के निपटान तंत्र की तर्ज पर विवादों का निपटारा करने के लिए तंत्र का निर्माण करने के लिए विचार या प्रस्ताव किया था?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 245

बुधवार, 03 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

संगठित / असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं / नीति

245. श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठित /असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई योजना /नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके लिए कितनी निधि आबंटित की गई है और उत्तर प्रदेश सहित इसका तत्संबंधी राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, 1976 के माध्यम से दिए जाते हैं।

वर्ष 2019-2020 के दौरान, 6.6 लाख प्रतिष्ठानों ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत 606 लाख अंशदायी सदस्यों के लिए अंशदान भेजा है।

कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत भारत सरकार ने 100 कर्मचारियों तक के सभी प्रतिष्ठानों के लिए, जिनमें ऐसे 90 प्रतिशत कर्मचारी हैं जो 15000/-रुपये

से कम मासिक वेतन ले रहे हैं, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत नियोक्ता के 12 प्रतिशत अंश और कर्मचारियों के 12 प्रतिशत अंश दोनों के लिए मार्च से अगस्त, 2020 तक के वेतन माह के लिए कुल मिलाकर 24 प्रतिशत का अंशदान किया है। 2567.72 करोड़ रुपये की राशि का लाभ 2.63 लाख पात्र प्रतिष्ठानों के 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में सीधे जमा किया गया।

कोविड-19 सुधार अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान अर्थातृ वेतन के 24 प्रतिशत का भुगतान करने और 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी ईपीएफ अंशदान अर्थात् वेतन के 12 प्रतिशत का भुगतान करने पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आरंभ की है। 28.01.2021 तक लाभार्थियों (नए कर्मचारी) की कुल संख्या 4.69 लाख है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अधिनियम, 1948 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है जो 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और जो ईएसआई अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित हैं और इस प्रकार यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। 21000/-रुपये प्रतिमाह अर्जित करने वाले कर्मचारी ईएसआई स्कीम के अंतर्गत व्याप्त हैं और वे ईएसआई अधिनियम ,1948 के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभों के हकदार हैं। इस समय ईएसआई योजनाओं को 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 575 जिलों में विस्तारित किया गया है। 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार ईएसआई योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3.41 करोड़ तथा कुल लाभार्थियों की संख्या 13.24 करोड़ रुपये है। 2019-20 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कुल व्यय 12,965.33 करोड़ रुपये था जिसमें राज्यों द्वारा उनके अधीन अस्पतालों और दवाखाना चलाने के लिए उन्हें 3,573.18 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल था। 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में 170.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् 3000/-रुपये मासिक न्यूनतम बीमित पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना नामक स्कीम शुरू की गई है। वे कामगार, जो

18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये है, वे इसके पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत मासिक अंशदान का 50 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा भुगतान योग्य है और इतनी ही राशि का भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन (व्यष्टि और समूह) को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। पीएम-एसवाईएम योजना के लिए आवंटित बजट और व्यय निम्नानुसार है:-

करोड़ रुपये में

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय
2018-19	50	49.49
2019-20	408	359.95
2020-21	330	321.29

केन्द्रीय सरकार ने जून, 2017 में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ विलय किया। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसमें 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 330/- रुपये के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करने पर दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 2 लाख रुपये और आंशिक अपंगता के मामले में एक लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। एएबीवाई तथा विलयित पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई में लाभार्थियों और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (करोड़ रुपये में)
2017-18	2,83,78,851	435.16
2018-19	3,42,18,315	587.52
2019-20	2,45,61,910	437.69

*

*****

अनुबंध

"संगठित / असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं / नीति" के संबंध में श्रीमती कान्ता कर्दम, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछा गया दिनांक 03.02.2021 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यक्ति नामांकन	सामूहिक नामांकन
1	हरियाणा	802449	92157
2	उत्तर प्रदेश	615680	224155
3	मध्य प्रदेश	587599	10154
4	गुजरात	368457	
5	छत्तीसगढ़	208092	
6	बिहार	192745	
7	ओडिशा	163249	
8	आंध्र प्रदेश	150656	
9	झारखंड	129120	
10	मध्य प्रदेश	123767	
11	राजस्थान	102138	179305
12	कर्नाटक	98257	
13	पश्चिम बंगाल	73782	
14	जम्मू एवं कश्मीर	72004	
15	तमिलनाडू	56679	
16	हिमाचल प्रदेश	41542	
17	उत्तराखंड	34417	
18	पंजाब	32622	
19	तेलंगाना	31562	
20	त्रिपुरा	28622	
21	असम	21153	
22	केरल	10298	
23	दिल्ली	7979	
24	नागालैंड	4691	
25	चंडीगढ़	3905	832
26	मणिपुर	3859	

27	मेघालय	2865	
28	अरूणाचल प्रदेश	2474	
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2112	
30	पडुचेरी	1249	
31	गोवा	971	
32	दमन एवं दीव	803	
33	दादरा एवं नागर हवेली	759	
34	मिजोरम	605	
35	सिक्किम	122	
36	लक्षद्वीप	21	
	कुल	3977305	506603
	कुल जोड		**4483908**

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 246

बुधवार, 03 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए निवेश

246. श्री इलामारम करीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ऋण पत्रों एवं अन्य लेख पत्रों में किए गए निवेश इसके लिए कितना लाभकारी रहा है;

(ख) क्या ऐसे या अन्य निवेशों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को नुकसान हुआ है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किन-किन कंपनियों में नुकसान उठाया है और किन-किन कंपनियों की रेटिंग्स में गिरावट का सामना किया है, विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेशों पर हुए मुनाफे को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ा है तो निवेश की गई धनराशि को वापस लाने के लिए क्या - क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) रैटिंग में गिरावट वाली (डी-रेटेड) कंपनियों में किए गए निवेशों से अनुमानित कितना नुकसान हुआ है और किन-किन कंपनियों में कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश अब खतरे में है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश प्रतिमान का अनुसरण करते हुए विभिन्न बॉडों एवं अन्य लेख पत्रों में निवेश किया है और ये अभी तक लाभकारी रहे हैं।

(ख) और (ग): (क) दीवान हाउसिंग फाइनांस कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) ; (ख) इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएण्डएफएस); रिलाइंस कैपिटल लिमिटेड (आर-सीएपी); (घ) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (पीएसआईडीसी); और (ङ) पंजाब वित्तीय निगम (पीएससी) से संबंधित सिक्योरिटीज में कतिपय मूलधन और उस पर देय ब्याज में हानि हुई है।

(घ): ईपीएफओ बाह्य समवर्ती लेखापरीक्षक (ईसीए) और परामर्शक के माध्यम से डाउनग्रेड/ डिफाल्ट के लिए अपनी सभी निवेशों की निगरानी करता है और उनकी फीडबैक के अनुसार प्रत्येक ऐसे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

निजी कंपनियों के मामले में बकाया रकम की वसूली के लिए संबंधित ऋण पत्र न्यासियों के माध्यम से मामले को उठाया गया है। राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में बकाया रकम की वसूली के लिए इस विषय को राज्य सरकार के माध्यम से उठाया गया है।

(ङ): हानि का ब्यौरा निम्नवत है:-

कंपनी का नाम	अनुमानित राशि (रुपये करोड़ में)
डीएचएफएल	7,60.69
आईएल एण्ड एफएस	1,06.23
आर-सीएपी	2,92.64
पीएसआईडीसी	2.98
पीएफसी	0.60
कुल	1163.14

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 252

बुधवार, 3 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

भविष्य निधि न्यास

252 श्री मो. नदीमुल हक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत मौजूद कर्मचारी भविष्य निधि न्यासों की संख्या का अब तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि न्यासों की सेवाओं का लाभ कितने ग्राहक प्राप्त कर रहे है;

(ग) इन पीएफ न्यासों में ग्राहकों द्वारा दिए गए अंशदानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन न्यासों में अदावी धन राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 268

बुधवार, 3 फरवरी, 2021 / 14 माघ, 1942 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ताओं और कर्मचारियों का अंशदान

268. श्री महेश पोद्दार

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में कर्मचारियों और नियोक्तओं के अंशदान में कमी को अनिवार्य बनाने का इरादा है;
(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्‌वारा किए जा रहे अंशदान के प्रतिशत में समान मात्रा में कमी की जाएगी और यह कब से अपेक्षित है;
(ग) सरकार का इस कमी को कब तक रखने का इरादा है; और
(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी कि नियोक्ता इस प्रस्तावित कदम की आड़ में अनुचित रूप से अपने अंशदान को कम नहीं करे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अंतर्गत अंशदानों की दरों को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को तरलता उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1513(अ) द्‌वारा यथा विनिर्दिष्ट अंशदानों की सांविधिक दर को मई, 2020 से जुलाई, 2020 तक तीन वेतन महीनों के लिए वेतन के 12% से घटाकर 10% तक कर दिया गया था।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 100

बुधवार, 10 फरवरी, 2021/21 माघ, 1942 (शक)

राजस्थान में मजदूरों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

***100. श्री पि.भट्टाचार्य :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत दो वर्षों के दौरान मजदूरों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राजस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार, योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं से कितने मजदूर लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/ कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके इसके प्रयासों के लिए पूरक व्यवस्था करने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

******

“राजस्थान में मजदूरों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं” के संबंध में श्री पि.भट्टाचार्य संसद सदस्य द्वारा दिनांक 10.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *100 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केवल एक केन्द्र प्रायोजित योजना नामत: राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। तथापि, एनसीएस योजना में श्रमिकों से संबंधित कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं के लिए नियोजन संबंधी सहायता दी जाती है।

एनसीएस परियोजना का उद्देश्य जॉब मैचिंग, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम पर सूचना आदि जैसी विभिन्न नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवाएं राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और कॉल सेंटर /हेल्प डेस्क द्वारा सहायता की जाती है। एनसीएस के अंतर्गत इन सेवाओं तक एनसीएस पोर्टल, रोजगार केन्द्रों (कैरियर केन्द्र), सार्वजनिक सेवा केन्द्रों आदि जैसे बहुविध प्रदायगी चैनलों से पहुंचा जा सकता है।

एनसीएस परियोजना के अंतर्गत मॉडल कैरियर केन्द्रों (एमसीसी) की स्थापना के लिए राज्यों को निधि जारी की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:-

[रुपये लाख में]

योजना का नाम	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के अंतर्गत मॉडल कैरियर केन्द्र (एमसीसी) की स्थापना	शून्य	329.85

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 168

बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

***168 श्री बिकास रंजन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) विगत में कब आयोजित किया गया था और उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई थी;

(ख) श्रम संहिताकरण के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय मजदूर संघों (सीटीयू) की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री बिकास रंजन द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 168 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 46वां सत्र 20-21 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आईएलसी ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा निम्न पर सिफारिशें कीं:

(i) पूर्ववर्ती आईएलसी के निष्कर्षों/सिफारिशों विशेष रूप से ठेका श्रम, न्यूनतम मजदूरी तथा स्कीम कामगारों एवं त्रिपक्षीय तंत्र का कार्यान्वयन;

(ii) संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के कामगारों तथा अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा;

(iii) बोनस अधिनियम में संशोधन;

(iv) रोजगार एवं रोजगार सृजन

आईएलसी ने यह भी सिफारिश की थी कि श्रम कानून संशोधनों/अधिनियमनों में तीन प्रयोजनों अर्थात् (i) कामगारों के अधिकार एवं कल्याण (ii) उद्यमों एवं रोजगार सृजन को बनाए रखना एवं (iii) औद्योगिक शांति का ध्यान रखा जाना चाहिए। आईएलसी ने आगे सिफारिश की कि श्रम कानूनों की समयबद्ध ढंग से समीक्षा एवं अद्यतन करने की आवश्यकता है तथा श्रम कानूनों में संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया पर त्रिपक्षीय मंच में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(ग): श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है; अत: केंद्र सरकार समय की आवश्यकता के अनुसार श्रम कानूनों एवं नीतियों को अद्यतन करने हेतु सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श करने हेतु प्रयासरत रहती है ताकि वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य दशाओं, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के रूप में श्रमिकों के संरक्षण को और सुदृढ़ किया जा सके। विभिन्न श्रम कानूनों को, त्रिपक्षीय परामर्शों के पश्चात्, चार श्रम संहिताओं अर्थात् (i) मजदूरी संहिता, 2019 (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (iii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 (iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समामेलित किया गया है। इन चार श्रम संहिताओं को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 दिनांक 08.08.2019 को अधिसूचित की गई थी तथा शेष तीन संहिताएं 29.09.2020 को अधिसूचित की गईं हैं।

इन संहिताओं का निरूपण सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तथा आईएलसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन चार संहिताओं की मुख्य विशेषताओं में से कुछ निम्नानुसार हैं:

- सभी क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिकरण तथा मजदूरी के समय पर भुगतान की सार्विक अनुप्रयोज्यता।
- छंटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रि-स्किलिंग कोष के निर्माण का प्रावधान।
- श्रमिक संघों की मांग के अनुसार पंजीकृत श्रमिक संघ के विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण के दायरे में शामिल किया गया।
- संहिता के अंतर्गत शामिल सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य बनाया गया है, जिससे नियोजन के औपचारीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- कतिपय प्रकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत विनिर्दिष्ट आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता को नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करानी है।

- अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार (आईएसएमडब्ल्यू) की परिभाषा में (क) ठेकेदार के माध्यम से नियोजित (ख) नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित (ग) नियोजन के लिए आईएसएमडब्ल्यू का स्वयं दूसरे राज्य में आना, को शामिल करने के लिए अत्यधिक विस्तार। आईएसएमडब्ल्यू के लिए, (क) प्रवासी कामगार द्वारा अपने जन्म स्थान की यात्रा करने के लिए एकमुश्त भत्ते का प्रावधान; और (ख) सार्वजनिक वितरण पद्धति के लाभों की सुवाह्यता तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा कामगार जो समुचित सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है, को लाभों की सुवाह्यता उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने की व्यवस्था करने हेतु, लाभ के दायरे को परिवर्तित कर दिया गया है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की व्याप्ति (कवरेज) का विस्तार अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थान पर 10 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों तक संपूर्ण भारत में किया गया है। संहिता में 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर तथा जोखिमकारी उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य रूप से ईएसआईसी लाभों का विस्तार उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर ईएसआईसी कवरेज का विस्तार बागानों तक भी किया जा सकता है।
- योजनाओं के निरूपण के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा ईएसआईसी के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में स्व-नियोजित व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक समर्थकारी उपबंध किया गया है।
- उभरते रोजगार के नए रूपों को ध्यान में रखते हुए एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म कामगार जैसी नई परिभाषाओं को शामिल किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने का प्रस्ताव है। जुर्मानों के भुगतान की राशि भी इस सामाजिक सुरक्षा कोष का हिस्सा होगी।
- नियत अवधि नियोजन (एफटीई) में लगे व्यक्तियों के लिए, उपदान हेतु पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यकता के बिना सेवा के समानुपातिक लाभ का विस्तार किया गया है। एफटीई के अंतर्गत एक वर्ष की संविदा वाला व्यक्ति उपदान के रूप में 15 दिन के वेतन का भी पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पात्रता सीमा को 10,000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000/- रुपये प्रतिमाह करने तथा बोनस के भुगतान हेतु सीमा की गणना को 3,500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000/- रुपये प्रतिमाह अथवा समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित अनुसूचित नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, करने हेतु बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को संशोधित कर दिया था जो 01.04.2014 से प्रभावी हुआ।

(घ): भारतीय श्रम सम्मेलन का 47वां सत्र 26 एवं 27 फरवरी, 2018 को आयोजित किया जाना निर्धारित था, तथापि, इसे प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया था। आईएलसी की अगली बैठक देश में चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के सामान्य होने के पश्चात् ही संभव होगी।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 178

बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

न्यूनतम पेंशन में संशोधन किया जाना

***178. श्री प्रसन्न आचार्य:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोश्यारी समिति की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) पेंशनधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मूल्य सूचकांक का प्रभाव समाप्त करने के लिए ईपीएस-95 पेंशनधारियों को उनके मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनधारियों को दिया गया है, दिए जाने का कोई निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

"न्यूनतम पेंशन में संशोधन किया जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री प्रसन्न आचार्य द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 178 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): कोश्यारी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में पेंशनधारियों के साथ-साथ पेंशनधारियों के संघों से कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सदस्य के वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के साथ-साथ अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराकर, पहली बार, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 01.09.2014 से 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया है।

(घ): कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 पेंशनधारियों की मांगों पर विचार करते हुए, सरकार ने ईपीएस, 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन एवं इसकी समीक्षा हेतु सशक्त निगरानी समिति (एचईएमसी) गठित की थी। समिति ने ईपीएस, 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक के साथ संबद्ध करने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि बीमांकिकी मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस, 1995 को मूल्य सूचकांक अर्थात् महगांई भत्ते राहत के साथ संबद्ध करना पेंशन कोष की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करेगा।

****

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 193*
(12 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पेंशन योजनाओं को और अधिक समावेशी बनाया जाना

***193. श्रीमती कान्ता कर्दम:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी के लोगों सहित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इन पेंशन योजनाओं में कुछ और परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) इन पेंशन योजनाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्रीमती कांता कर्दम द्वारा राज्य सभा में दिनांक 12.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *193 (13वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क से ग) एनएसएपी के तहत तीन पेंशन योजनाएं अर्थात: क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (□ ईजीएनओएपीएस), ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (□ ईजीएनडब्ल्यूपीएस), ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (□ ईजीएनडीपीएस) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित की जाती हैं। इन तीन योजनाओं के संबंध में, जो भी मामला हो, लक्षित लाभार्थियों को 200 रुपये से 500 रुपये के भीतर मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इन तीन पेंशन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों सहित लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	□ ईजीएनओएपीएस		□ ईजीएनडब्ल्यूपीएस		□ ईजीएनडीपीएस		कुल योग	
	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लाभार्थी
2015-2016	3437084	1271874	991784	285811	74998	17627	4503866	1575312
2016-2017	4204232	1271874	991784	285811	75280	17627	5271296	1575312
2017-2018	4204232	1271874	991784	285811	75280	17627	5271296	1575312
2018-2019	4204232	1271874	991784	285811	75280	17627	5271296	1575312
2019-2020	4192393	1462836	991784	286012	73213	17638	5257390	1766486

3. एनएसएपी योजना के कार्यान्वयन में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) पेंशनों की समयबद्ध स्वीकृति, रिलीज और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने और पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता में सुधार करने के लिए एनएसएपी पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) पोर्टल स्थापित किया गया है। एनएसएपी-पीपीएस न केवल वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन और विधवा पेंशन की श्रेणी के अंतर्गत □ ने वाले पेंशन लाभार्थियों के ब्यौरे प्रदान करता है अपितु, लाभार्थी को

पेंशन के वितरण के लिए प्रारंभिक बिंदु से एंड-टू-एंड ट्रांजेक्शन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सभी □ शयित लाभार्थियों के रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण शुरु किया गया है। दिनांक 28 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार डाटाबेस में 96% संभावित लाभार्थियों के रिकॉर्ड्स का उनके नाम, पता, पेंशन संवितरण की पद्धति के विकल्प, बैंक खातों के विवरण और मोबाइल नंबर जहां कहीं उपलब्ध करा दिया गया है, सहित डाटाबेस का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

(ii) भारत सरकार ने लेन-देन में पारदर्शिता और शीघ्रता को बढ़ावा देने के लिए एनएसएपी पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लागू किया था। वर्ष 2016-17 में 1.73 करोड़ के लेन-देन की तुलना में वर्ष 2019-20 में यह लेन-देन बढ़कर लगभग 21.47 करोड़ हो गया है।

(iii) एनएसएपी में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा एक अन्य उपाय है। सामाजिक लेखा परीक्षा के □ योजन में एकरूपता लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पृथक सामाजिक लेखा परीक्षा दिशा-निर्देशों और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। इसके अलावा, एनएसएपी की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा □ योजित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रायोगिक सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन□ ई□ रडी एंड पी□ र), हैदराबाद को सौंपा गया है, जिसने पांच राज्यों में प्रायोगिक सामाजिक लेखा परीक्षा पूर्ण कर ली है तथा दस और राज्यों में प्रायोगिक लेखा परीक्षा शुरू की है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*311
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

युवाओं हेतु रोज़गार के लिए योजनाएं

***311. श्री एम. शनमुगमः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में लोगों, विशेष रूप से बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु क्या-क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं;

(ख) देश में रोज़गार के अवसरों के सृजन के लिए कुल कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं तथा इन योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“युवाओं हेतु रोज़गार के लिए योजनाएं” के संबंध में श्री एम. शनमुगम, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक **24-03-2021** के तारांकित प्रश्न संख्या ***311** के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति अनुबंध **{**(क) से (घ)**}** में दी गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 10 मार्च, 2021 तक, इसकी शुरूआत से योजना के तहत 28.35 करोड़ ऋण खाते में, 14.79 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए 3 वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ लेने के लिए 16.49 लाख कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया था।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई (2016-20) के रोजगार से जुड़े अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत, 28.02.2021 को, 36.40 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है; जिसमें से देश भर में 18.67 लाख अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 24.03.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *311 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21#
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1744	1832	744	824
2	आंध्र प्रदेश	12216	17760	17536	9848
3	अरुणाचल प्रदेश	1672	2240	1688	240
4	असम	18256	29896	20824	11080
5	बिहार	18456	26424	17768	9192
6	चंडीगढ़	360	224	112	56
7	छत्तीसगढ	11704	24752	22488	13304
8	दिल्ली	920	1056	744	328
9	गोवा	400	624	720	264
10	गुजरात*	15008	28000	31864	19344
11	हरियाणा	13744	17320	16232	10360
12	हिमाचल प्रदेश	7088	11192	9808	6096
13	जम्मू और कश्मीर	30024	60232	42840	48872
14	झारखंड	8888	14376	12352	6976
15	कर्नाटक	16920	29256	29576	25520
16	केरल	10776	19888	19368	12344
17	लक्षद्वीप	00	00	00	08
18	मध्य प्रदेश	14432	20208	17644	22080
19	महाराष्ट्र**	26632	45136	35232	15928
20	मणिपुर	4800	10328	9384	5808
21	मेघालय	600	3120	3016	960
22	मिजोरम	1992	8984	6080	2448
23	नागालैंड	7440	9664	8872	2456
24	ओडिशा	19192	24560	21744	13376
25	पुडुचेरी	352	608	512	232
26	पंजाब	12160	14408	13560	8920
27	राजस्थान	12614	18872	24200	15640
28	सिक्किम	296	440	632	272
29	तमिलनाडु	32760	41480	14376	30288
30	तेलंगाना	9520	16408	17424	9528
31	त्रिपुरा	8928	9432	7696	3768
32	उत्तर प्रदेश	43456	41944	48960	59048
33	उत्तराखंड	12904	17448	14752	12784
34	पश्चिम बंगाल	10928	19304	17776	10624
35	यूटी लद्दाख				1128
	योग	387184	587416	533224	389944

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

* दमन और दीव सहित

** दादर और नगर हवेली सहित

28.02.2021 को

(ख) पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा।

प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.स.	राज्य	वि.व.2017-18	वि.व.2018-19	वि.व.2019-20	वि.व.2020-21 (19-03., 2021 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	10954	24894	10795	1,939
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	33
3.	असम	3464	7397	13873	3,047
4.	बिहार	4859	5851	5861	2,733
5.	छत्तीसगढ	539	2583	3842	3,645
6.	गुजरात	160	1482	2249	857
7.	हरियाणा	5832	3548	6200	1,213
8.	हिमाचल प्रदेश	0	504	933	106
9.	जम्मू और कश्मीर	1424	631	1288	1,931
10.	झारखंड	2375	3585	8235	1,879
11.	कर्नाटक	4752	5411	7226	1,571
12.	केरल	4175	9656	8456	2,649
13.	मध्य प्रदेश	1823	4936	7305	969
14.	महाराष्ट्र	7390	4500	12756	2,677
15.	मणिपुर	0	0	573	381
16.	मेघालय	0	253	686	158
17.	मिजोरम	0	0	359	88
18.	नागालैंड	0	0	403	278
19.	ओडिशा	14035	31455	30595	7,377
20.	पंजाब	563	1443	1311	1,770
21.	राजस्थान	693	3381	4692	1,451
22.	सिक्किम	0	64	32	43
23.	तमिलनाडु	765	185	3324	1,286
24.	तेलंगाना	9048	15604	6839	1,436
25.	त्रिपुरा	526	2093	524	94
26.	उत्तर प्रदेश	892	4839	7341	408
27.	उत्तराखंड	0	253	672	3,918
28.	पश्चिम बंगाल	1518	3700	3829	2,537
	योग	75787	138248	150199	46474

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

एनजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (23.03.2021 को)
1	आंध्र प्रदेश	2,120	2,466	2,002	2,416
2	अरुणाचल प्रदेश	43	69	86	118
3	असम	481	533	624	868
4	बिहार	817	1,234	1,418	2,173
5	छत्तीसगढ	1,199	1,386	1,362	1,720
6	गोवा	1	0.1	0.3	1
7	गुजरात	353	420	354	469
8	हरियाणा	90	78	91	174
9	हिमाचल प्रदेश	220	285	259	322
10	जम्मू और कश्मीर	371	368	314	380
11	झारखंड	593	537	642	1,127
12	कर्नाटक	857	1,045	1,119	1,425
13	केरल	620	975	802	986
14	लद्दाख	NA*	NA*	19	20
15	मध्य प्रदेश	1,622	2,029	1,931	3,339
16	महाराष्ट्र	825	846	630	633
17	मैनपुर	61	117	234	308
18	मेघालय	292	342	370	354
19	मिजोरम	144	181	193	199
20	नागालैंड	200	133	138	175
21	ओडिशा	922	830	1,115	2,013
22	पंजाब	223	204	235	359
23	राजस्थान	2,398	2,942	3,289	4,445
24	सिक्किम	35	34	29	35
25	तमिलनाडु	2,389	2,577	2,485	3,208
26	तेलंगाना	1,148	1,177	1,071	1,516
27	त्रिपुरा	176	253	344	425
28	उत्तर प्रदेश	1,815	2,121	2,445	3,869
29	उत्तराखंड	223	222	206	291
30	पश्चिम बंगाल	3,126	3,383	2,723	4,089
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	2	2
32	लक्षद्वीप	0.1	0.1	0.04	0.02
33	पुडुचेरी	7	7	8	10
	योग	23,373	26,796	26,542	37,469

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय (https://www.nrega.nic.in)

(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा

		कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के नियोजन की संख्या				
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व.2017-18	वि.व.2018-19	वि.व.2019-20	वि.व.2020-21	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	11486	54376	983	0	74024
2	अरुणाचल प्रदेश	328	620	1	0	949
3	असम	719	464	1592	29	2870
4	बिहार	2380	1250	1275	103	7142
5	छत्तीसगढ	7163	5253	1149	71	15283
6	गोवा	314	1253	160	248	1990
7	गुजरात	8145	13202	4716	1034	35534
8	हरयाणा	2059	4070	1804	601	8968
9	हिमाचल प्रदेश	167	461	214	106	1154
10	जम्मू और कश्मीर	85	202	84	1	403
11	झारखंड	16097	8604	2515	292	36924
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0
13	केरल	3232	4888	2508	165	11068
14	मध्य प्रदेश	7824	34449	5599	1587	99647
15	महाराष्ट्र	15876	34722	34832	1226	91502
16	मणिपुर	0	104	87	0	192
17	मेघालय	157	212	17	1	400
18	मिजोरम	171	1535	838	158	2936
19	नागालैंड	0	1	0	0	1
20	ओडिशा	461	0	0	0	4475
21	पंजाब	2213	1370	2398	633	7304
22	राजस्थान	919	2734	1857	74	5599
23	सिक्किम	0	246	0	0	340
24	तमिलनाडु	3767	3030	322	63	7811
25	तेलंगाना	7691	5483	1876	0	17232
26	त्रिपुरा	5	228	6	0	239
27	उत्तर प्रदेश	6729	924	2456	157	76164
28	उत्तराखंड	3716	1069	77	0	7879
29	पश्चिम बंगाल	6319	8949	3649	585	20789
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	163	504	488	7	1165
32	दिल्ली	0	21	0	0	21
	योग	108186	190224	71503	7141	540005

स्रोतः आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1056

बुधवार, 10 फरवरी, 2021 / 21 माघ, 1942 (शक)

चाय बागानों के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

1056. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चाय बागानों के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों में असंगठित कामगारों के लिए भविष्य निधि, परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मकार के लिए मुआवजा जैसी सामाजिक सुरक्षाएं उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(घ) यदि नहीं, तो पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों के कामगारों को ये सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): बागान श्रम (पीएल) अधिनियम, 1951 बागानों के कार्य-शर्तों को विनियमित करता है और चाय बागान कामगारों सहित बागान श्रमिक के कल्याण हेतु उपबंध करता है। इस अधिनियम में नियोक्ताओं को आवास, चिकित्सा सुविधा, बीमारी और मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्य रूपों को कामगारों को उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। चाय बागान के कामगारों और टी ईस्टेट के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा, पेय-जल, संरक्षण संस्था, कैंटीन, शिशु-सदन और मनोरंजक सुविधाओं हेतु उपबंध हैं। बागान श्रम अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसके लिए उनके द्वारा अलग नियम बनाए गए हैं।

इन सुविधाओं के अलावा, बागान कमोडिटी बोर्ड, मीडियम टर्म फ्रेमवर्क (एमटीएफ) अवधि के दौरान अपनी संबंधित योजनाओं के तहत बागान कामगारों के लिए श्रम कल्याण उपाय का विस्तार कर रहे हैं।

सरकार ने, बागान श्रम अधिनियम को व्यावसायिक, सुरक्षा, और कार्य दशाएं श्रम संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सम्मिलित किया है। इन संहिताओं को संसद द्वारा पारित किया गया है और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात अधिसूचित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में बागान मालिकों को ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के सदस्य के रूप में अपने कामगारों का नामांकन करने का विकल्प देने की परिकल्पना की गई है। ईएसआईसी अपने सदस्यों को चिकित्सा लाभ के अलावा अनेक लाभ जैसे रुग्णता के समय लाभ, बेरोजगारी भत्ता, प्रसूति लाभ आदि प्रदान करता है।

(ग) से (घ): अस्थायी कामगार पश्चिम बंगाल के चाय बागान (अन्यत्र भी) में नियोजित किए जाते हैं। उनका नियोजन मुख्यत: चाय पत्ती तोड़ने के महिनों में होता है। कामगारों को, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 आदि जैसे अधिनियमों के अन्तर्गत यथा प्रयोज्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1257

उत्तर देने की तारीख 11.02.2021

जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद

1257. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या मंत्रालय को यह जानकारी है कि अपनी जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत, योजना के तहत अनुसूचित जातियों के संघटकों (एसटीपी) की निगरानी के लिए निर्धारित किए गए मुख्य पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार की इन पदों को भरने की योजना है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 तक लाभान्वित जनजातीय लोगों की संख्या के राज्य-वार आंकड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) तथा (ख) : जी हाँ। व्यय विभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी के लिए सात पदों को मंज़ूरी दी है। स्वीकृत सात पदों में से छह पद खाली हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में रिक्त पदों के संवर्गीकरण का प्रस्ताव डीओपीटी में विचाराधीन है।

(ग) और (घ) : जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के तहत कुछ योजनाओं के अधीन लाभान्वित जनजातियों की संख्या के संबंध में राज्यवार आंकड़े **अनुलग्नक I से IX** में है।

*****

अनुलग्नक - I

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान की योजना के तहत लाभार्थियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 लाभार्थी	2019-20 लाभार्थी	2020-21 लाभार्थी (31.12.2020 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	19966	26906	12515
2.	अरुणाचल प्रदेश	93022	209365	22084
3.	असम	97368	49151	0
4.	छत्तीसगढ	11571	4562	0
5.	गुजरात	178687	159980	71457
6.	हिमाचल प्रदेश	2462	1882	240
7.	जम्मू और कश्मीर	100	366	0
8.	झारखंड	645635	503826	63170
9.	कर्नाटक	179259	98994	10124
10.	केरल	62259	0	35807
11.	मध्य प्रदेश	2586	1344	359
12.	महाराष्ट्र	2550	12441	217
13.	मणिपुर	4191	5969	7494
14.	मेघालय	182650	183368	0
15.	मिजोरम	8402	5502	529
16.	नागालैंड	143	0	0
17.	दिल्ली	50	0	48
18.	ओडिशा	165698	113876	690
19.	राजस्थान	1104	779	1005
20.	सिक्किम	617	412	0
21.	तमिलनाडु	482619	194619	38257
22.	तेलांगना	400	91	392
23.	त्रिपुरा	400	400	0
24.	उत्तराखंड	1005	1071	166
25.	पश्चिम बंगाल	197149	141774	25445

अनुलग्नक - II

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा के सुदृढीकरण की योजना' के तहत राज्य-वार लाभार्थियों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 लाभार्थी	2019-20 लाभार्थी	2020-21 लाभार्थी (31.12.2020 तक)
1.	छत्तीसगढ	384	576	0
2.	गुजरात	399	300	0
3.	झारखंड	150	200	0
4.	मध्य प्रदेश	3199	3137	308
5.	महाराष्ट्र	907	1265	240
6.	ओडिशा	4810	3677	1210
7.	राजस्थान	634	770	385

अनुलग्नक - III

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना के तहत लाभार्थियों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 लाभार्थी	2019-20 लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	222	249
2	आंध्र प्रदेश	0	28124
3	असम	12933	2869
4	बिहार	46096	46096
5	छत्तीसगढ़	194413	143986
6	दादर और नगर हवेली	4399	5044
7	दमन और दीव	332	262
8	गोवा	3582	3332
9	गुजरात	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	3494	2709
11	जम्मू और कश्मीर	25920	0
12	झारखंड	119877	106761
13	कर्नाटक	62126	87364
14	केरल	12121	7858
15	लद्दाख	0	0
16	मध्य प्रदेश	359092	318870
17	मणिपुर	21006	24760
18	मिजोरम	14880	16890
19	नागालैंड	0	2000
20	ओडिशा	204916	219875
21	राजस्थान	136915	184163
22	सिक्किम	247	415
23	तमिलनाडु	12800	13423
24	तेलंगाना	354	5570
25	त्रिपुरा	12353	10980
26	उत्तराखंड	2572	2829
27	पश्चिम बंगाल	33870	36962

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की योजना के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 लाभार्थी	2019-20 लाभार्थी
1	अण्डमान और निकोबार	544	447
2	आंध्र प्रदेश	71687	158195
3	अरुणाचल प्रदेश	18863	20500
4	असम	26867	25163
5	बिहार	9950	13938
6	छत्तीसगढ़	143320	144453
7	दादर और नगर हवेली	0	2327
8	दमन और दीव	196	351
9	गोवा	4442	5870
10	गुजरात	214605	202667
11	हिमाचल प्रदेश	10747	3774
12	जम्मू और कश्मीर	16905	0
13	झारखंड	73385	79823
14	कर्नाटक	101059	118083
15	केरल	16111	16583
16	लद्दाख	0	0
17	मध्य प्रदेश	272714	244126
18	महाराष्ट्र	147262	139550
19	मणिपुर	59661	57773
20	मेघालय	35305	0
21	मिजोरम	51983	44311
22	नागालैंड	28949	40164
23	ओडिशा	185888	171532
24	पुडुचेरी	-	-
25	राजस्थान	135523	286652
26	सिक्किम	2962	5159
27	तमिलनाडु	21605	0
28	तेलंगाना	153845	130007
29	त्रिपुरा	23020	23720
30	उत्तर प्रदेश	2779	0
31	पश्चिम बंगाल	90395	62234

अनुलग्नक - V

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

राष्ट्रीयकृत अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल लाभार्थी जिन्हें सहायता प्रदान की गई (31.12.2020 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	33
2.	छत्तीसगढ़	78
3.	हिमाचल प्रदेश	2
4.	केरल	152
5.	मध्य प्रदेश	1930
6.	मणिपुर	53
7.	मेघालय	9
8.	मिजोरम	902
9.	नागालैंड	48211
10.	ओडिशा	1913
11.	त्रिपुरा	445
12.	तेलंगाना	565
13.	उत्तराखंड	2
14.	पश्चिम बंगाल	1607

अनुलग्नक VI

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

2019-20 के दौरान ईएमआरएस में नामांकित छात्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्र 2019-20 के दौरान ईएमआरएस में नामांकित छात्र
1	आंध्र प्रदेश	3424
2	अरुणाचल प्रदेश	208
3	असम	480
4	छत्तीसगढ़	7961
5	गुजरात	10156
6	हिमाचल प्रदेश	312
7	झारखंड	3558
8	कर्नाटक	3053
9	केरल	535
10	मध्य प्रदेश	12946
11	महाराष्ट्र	5067
12	मणिपुर	1440
13	मिजोरम	396
14	नागालैंड	619
15	ओडिशा	5821
16	राजस्थान	4947
17	सिक्किम	979
18	तमिलनाडु	2186
19	तेलंगाना	3960
20	त्रिपुरा	1740
21	उत्तर प्रदेश	473
22	उत्तराखंड	393
23	पश्चिम बंगाल	2737

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अजजा के लिए स्वीकृत तथा पूर्ण घरों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत	पूर्ण
1	अरुणाचल प्रदेश	23233	2141
2	असम	99134	90333
3	बिहार	34382	24371
4	छत्तीसगढ़	442075	292059
5	गोवा	69	51
6	गुजरात	146416	132082
7	हरियाणा	43	40
8	हिमाचल प्रदेश	1755	1320
9	जम्मू और कश्मीर	44514	11727
10	झारखंड	397358	294668
11	केरल	1326	1273
12	मध्य प्रदेश	1037678	723526
13	महाराष्ट्र	313146	232691
14	मणिपुर	20086	6104
15	मेघालय	47747	18490
16	मिजोरम	13412	3987
17	नागालैंड	4120	4119
18	ओडिशा	629128	542520
19	पंजाब	2	2
20	राजस्थान	504063	403564
21	सिक्किम	473	470
22	तमिलनाडु	18431	12033
23	त्रिपुरा	30880	27890
24	उत्तर प्रदेश	26624	13162
25	उत्तराखंड	1207	1191
26	पश्चिम बंगाल	312711	234604
27	अण्डमान और निकोबार	12	4
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5646	593
29	लक्षद्वीप	53	37
30	पुडुचेरी	0	0
31	आंध्र प्रदेश	10853	7100
32	कर्नाटक	31358	18246
33	तेलंगाना	0	0
34	लद्दाख	1422	1293

स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - एमआईएस रिपोर्ट (09/02/2021 11:50:45 तक)

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सक्रिय अजजा मजदूर और अजजा लोगों के लिए सृजित कार्य दिवसों की कुल संख्या की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सक्रिय अनुसूचित जनजाति मजदूरों की कुल संख्या (लाख में)	अजजा लोगों के लिए सृजित कार्य दिवस की कुल संख्या [लाख में] (2019-20)	अजजा लोगों के लिए सृजित कार्य दिवस की कुल संख्या [लाख में] (2020-21)
1.	एक और एन द्वीप	0.01	0.01	0.15
2.	आंध्र प्रदेश	6.91	227.64	249.19
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.30	77.58	85.89
4.	असम	8.31	109.74	103.05
5.	बिहार	1.02	20.12	21.70
6.	छत्तीसगढ़	23.23	524.27	459.86
7.	गोवा	0.03	0.12	0.41
8.	गुजरात	10.57	143.25	160.96
9.	हरियाणा	0.00	0.01	0.03
10.	हिमाचल प्रदेश	0.86	25.82	28.69
11.	जम्मू और कश्मीर	1.79	62.31	30.19
12.	झारखंड	11.41	161.79	250.61
13.	कर्नाटक	7.62	116.35	127.10
14.	केरल	1.24	55.12	56.81
15.	लक्षद्वीप	0.00	0.04	0.02
16.	मध्य प्रदेश	40.91	642.64	1002.01
17.	महाराष्ट्र	11.44	131.46	141.64
18.	मणिपुर	3.07	92.99	125.98
19.	मेघालय	7.87	342.64	280.31
20.	मिजोरम	2.07	191.74	188.51
21.	नागालैंड	4.99	131.31	150.37
22.	ओडिशा	24.03	395.37	637.97
23.	पुडुचेरी	0.00	0.01	0.02
24.	पंजाब	0.01	0.12	0.19
25.	राजस्थान	29.43	726.98	863.09
26.	सिक्किम	0.36	11.70	11.76
27.	तमिलनाडु	1.29	28.08	34.34
28.	तेलंगाना	8.54	192.59	280.32
29.	त्रिपुरा	3.48	173.01	190.09
30.	उत्तर प्रदेश	1.49	23.22	34.03
31.	उत्तराखंड	0.47	6.79	8.71
32.	पश्चिम बंगाल	11.64	250.25	297.85

स्रोत: मनरेगा एमआईएस पोर्टल (08/02/2021 तक)

नोट: व्यक्ति कार्य दिवस – व्यक्ति कार्य दिवस का तात्पर्य प्रति दिन काम करने वाले लोगों की संख्या गुणा किए गए कार्य दिवसों की संख्या है।

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत रिक्त पद' के संबंध में श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 31-03-2020 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को जारी राज्यवार गैस कनेक्शन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को जारी गैस कनेक्शन
1	अण्डमान और निकोबार	723
2	आंध्र प्रदेश	136094
3	अरुणाचल प्रदेश	29186
4	असम	877562
5	बिहार	2101262
6	चंडीगढ़	42
7	छत्तीसगढ़	1671060
8	दादरा और नगर हवेली	13578
9	दमन और दीव	242
10	दिल्ली	56562
11	गोवा	480
12	गुजरात	969959
13	हरियाणा	399412
14	हिमाचल प्रदेश	49920
15	जम्मू और कश्मीर	298300
16	झारखंड	1213834
17	कर्नाटक	1208731
18	केरल	68004
19	लक्षद्वीप	266
20	मध्य प्रदेश	3325631
21	महाराष्ट्र	1429816
22	मणिपुर	66177
23	मेघालय	122650
24	मिजोरम	25750
25	नागालैंड	48880
26	ओडिशा	2006901
27	पुडुचेरी	6494
28	पंजाब	1020195
29	राजस्थान	2867831
30	सिक्किम	2536
31	तमिलनाडु	1183360
32	तेलंगाना	496500
33	त्रिपुरा	154350
34	उत्तर प्रदेश	4874279
35	उत्तराखंड	148752
36	पश्चिम बंगाल	3606364

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1849
बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नए रोजगार का सृजन

1849. श्री परिमल नथवानीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए रोजगार के सृजन के हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की शुरूआत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) लॉकडाउन अवधि में नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): सरकार नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य एवं अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक श्रम बल में लाने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 3 मार्च, 2019 को 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से कार्यान्वयन की जा रही है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान खातों में डाल रही है।

इसके अलावा, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) आरंभ किया था। जिसके तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया था और यह 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए सरकार मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान कर रही थी।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1856

बुधवार, 10 मार्च, 2021 / 19 फाल्गुन, 1942 (शक)

ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन

1856. श्री एम. शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन योजना की शुरूआत होने से लेकर अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारी की न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है;

(ख) उत्तरजीविता लागत में वृद्धि और उच्चतर मंहगाई के बावजूद न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या मजदूर संघों सहित विभिन्न तबकों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रूपये कब तक किया जाएगा, जैसे कि विभिन्न मजदूर संघों द्वारा मांग की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान 01.09.2014 से लागू किया गया था, जिसमें व्यापक मांगों को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान की गई थी, हालांकि इस तरह के बजटीय सहायता के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 को "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक बीमा योजना के सिद्धांतों पर अभिकल्पित किया गया है और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए "बीमांकिक सिद्धांत" को अंगीकार किया गया है। वैसे भी, इस योजना में बजटीय सहायता हेतु कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सरकार पहले ही 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) से (ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने हेतु विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस योजना, 1995 को "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक बीमा योजना के सिद्धांतों पर अभिकल्पित किया गया है और दीर्घ कालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए "बीमांकिक सिद्धांत" को अंगीकार किया गया है। योजना की वित्तीय व्यवहार्यता और/ या अतिरिक्त बजटीय सहायता से समझौता किए बिना न्यूनतम मासिक पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) ने कुछ परंतुक के साथ मासिक पेंशन में वृद्धि करने की सिफारिश की है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1863

बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन,1942 (शक)

अस्थायी कामगारों के लिए कोष

1863 श्री के.सी.रामामूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के समक्ष अस्थायी कामगारों के लिए कोष बनाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वे किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं जिसके फलस्वरूप वे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में श्रम एवं रोजगार संबंधी स्थायी समिति ने कोई सिफारिश /समुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने अस्थायी कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कंपनियों/ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों को शामिल करने का प्रयास किया है;और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी हां। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 141 के अनुसार, केंद्र सरकार असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेफार्म कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करेगी।

(ख) और (ग): जी हां। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने यह अनुशंसा की है कि गिग कामगारों और असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए योजना बनाने में और सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन करने के प्रावधानों में एकरूपता होनी चाहिए।

(घ): सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार गिग और प्लेटफार्म कामगारों तक विस्तार करना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उपबंधों में निर्दिष्ट किया गया है।

(ड) और (च): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समूहक के वार्षिक टर्नओवर के एक से दो प्रतिशत के बीच जो, समूहक द्वारा गिग और प्लेफार्म कामगारों को भुगतान की गई या देय राशि के अधिकतम पांच प्रतिशत के अधीन अंशदान की परिकल्पना की गई है। यह सामाजिक सुरक्षा निधि में जमा की जाएगी।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1870

बुधवार, 10 मार्च, 2021 / 19 फाल्गुन, 1942 (शक)

गैर-संविदात्मक श्रमिकों में वृद्धि

1870. श्री सुभाष चंद्र सिंह:
श्री प्रशांत नन्दा:
श्री भास्कर राव नेक्कांति:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों में औपचारिक क्षेत्र में गैर-संविदात्मक श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों के दौरान ईपीएफओ में पंजीकृत कामगारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**वर्ष के दौरान ईपीएफओ अंशदान के साथ पंजीकृत कामगारों की कुल संख्या (करोड़ में)**
2015-16	3.76
2016-17	4.12
2017-18	4.51
2018-19	4.69
2019-20	4.89

*****

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2210

जिसका उत्तर 15.03.2021 को दिया जाना है

देश में सड़क परिवहन कामगार

2210 श्री इलामारम करीम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कितने सड़क परिवहन कामगार हैं, ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ट्रक, बस इत्यादि के कितने कामगार हैं और कितने ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक इत्यादि हैं;

(ख) 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार "सड़क पर" (ऑन रोड) वाहनों की प्रकार-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने सड़क परिवहन कामगारों की समस्याओं का अध्ययन करने वाले वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के प्रतिवेदन और सिफारिशों पर विचार किया है, यदि हां, तो इस प्रतिवेदन पर क्या-क्या निर्णय लिए गए?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई डेटा नहीं रखा गया है।

(ख): केंद्रीकृत वाहन 4 डेटाबेस के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक "सड़क पर" (ऑन रोड़) वाहनों की प्रकार-वार संख्या निम्नानुसार है: -

वाहन श्रेणी	**वाहनों की संख्या**
दो पहिया	18,43,45,789
तीन पहिया	70,13,173
चार पहिया	3,78,22,497
एंबुलेंस/शवयान	91,550
माल वाहन	1,03,43,878
सार्वजनिक सेवा वाहन	12,45,058
ट्रेक्टर	67,91,476
ट्रैलर	11,71,148
उपरोक्त उल्लिखित के अलावा	37,12,820
कुल जोड़	25,25,37,389

(ग): यह मंत्रालय सड़कों, परिवहन और राजमार्गों के निर्माण, अनुरक्षण तथा इनके लिए नीतियों का काम देखता है। श्रम मुद्दे श्रम मंत्रालय के विशेषाधिकार में आते हैं, अत: श्रम मंत्रालय की ऐसी रिपोर्ट इस मंत्रालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2297

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

पीएमजीकेवाई के अंतर्गत लाभार्थी

2297. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 राहत पैकेज के भाग के रूप में अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 तक के महीनों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार उन लाभार्थियों की माह-वार संख्या कितनी है जो अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 के महीनों के दौरान इस योजना से लाभान्वित होंगे; और

(ग) अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 के महीनों में पीएमजीकेवाई से लाभान्वित लाभार्थियों का माह-वार राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग) : सरकार ने निर्धनों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सहायता करने हेतु दिनांक 26.03.2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के मौजूदा लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया। प्रत्येक योजना के लिए योजनाओं तथा निश्चित लक्ष्य के विवरण को दर्शाता ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है। इसके अतिरिक्त, पीएमजीकेपी के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के राज्य-वार विवरण को दर्शाता ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

अनुबंध-I

क्र.सं.	योजना	लक्षित लाभार्थी (करोड़ में)
1.	वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए सहायता – 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं तथा दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपए जारी करना।	2.98
2.	पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (खाद्यान्न) – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ लोगों में से प्रत्येक को उनके राशन की पात्रता से दुगुनी राशि का अनुदान, तीन माह (अप्रैल – जून, 2020), के लिए निःशुल्क। इस योजना को नवम्बर, 2020 तक लगातार बढ़ाया गया।	80 (प्रति माह)
3.	पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (दालें) – पीडीएस के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को अगले तीन माह (अप्रैल – जून, 2020) के लिए निःशुल्क 01 किलोग्राम दाल का अनुदान।	19.4 (प्रति माह)
4.	उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले तीन माह (अप्रैल – जून, 2020) के लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर। इस योजना को उन लाभार्थियों के लिए 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया जिनको रीफिल खरीदने के लिए अग्रिम दिया गया था किंतु वे 30.06.2020 तक निःशुल्क सिलेंडर नहीं खरीद सके।	8.0246 (प्रति माह)
5.	पीएम किसान के अंतर्गत 2020-21 में किसानों को देय 2000 रुपए की पहली किस्त की फ्रंट लोडिंग तथा अप्रैल, 2020 में इसको जारी करना।	8
6.	भारत सरकार द्वारा 100 कर्मचारियों वाली सभी संस्थापनाओं को तथा ईपीएफ के अंतर्गत कर्मचारियों के 12 प्रतिशत हिस्से और 12 प्रतिशत नियोक्ता हिस्से तथा 15000 रुपए से कम मासिक मजदूरी कमाने वाले ऐसे 90 प्रतिशत कर्मचारियों को तीन माह के लिए अंशदान। इसे अन्य तीन माह के लिए बढ़ाया गया था।	0.7874 (प्रति माह)
7.	राज्य सरकारों को भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कल्याण निधि में इन श्रमिकों को सहायता तथा समर्थन प्रदान करने के लिए उपलब्ध 31,000 करोड़ रुपए के उपयोग के निर्देश।	3.5
8.	पीएमजेडीवाई महिला खाता-धारकों को घर चलाने में सहायता देने के लिए अगले तीन माह के लिए 500 रुपए प्रति माह का अनुग्रह भुगतान।	20.40 (प्रति माह)
9.	जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग के लिए कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के इलाज में तथा इस महामारी के फैलाव से बचने के क्रम में चिकित्सा जांच, स्क्रीनिंग तथा अन्य आवश्यकताओं की परिवर्धन सुविधाओं तथा सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश।	-
10.	01 अप्रैल, 2020 के तत्काल प्रभाव से मनरेगा मजदूरी को 20 रुपए बढ़ाया गया।	13.62
11.	मजदूरी के तीन माह अथवा कर्मचारियों को राशि के 75 प्रतिशत के गैर-वसूली योग्य अग्रिम की अनुमति के लिए, उनके खातों से, जो भी कम हो, ईपीएफ विनियमों में संशोधन।	5
12.	6.85 करोड़ रुपए घरेलू महिलाओं को सहायता देने वाले 63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्धता द्वारा सहायता देने हेतु 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त उधार देने की सीमा।	0.63
13.	तीन माह की अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मियों हेतु कुल 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति व्यापक बीमा योजना। 12.02.2021 तक 259 दावों का निपटारा किया गया है।	0.2212

16.03.2021 पर जवाब के लिए अतारांकित प्रश्न सं 2297 के भागों (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुबंध II

16.03.2021 पर जवाब के लिए अतारांकित प्रश्न सं 2297 के भागों (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

		पीएमजीएवाई		पीएमजीएवाई दाल/चना		**उज्ज्वला**		**पीएम किसान**		**पीएमजेडीवाई**		**24% ईपीएफ**		**एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम**		**बीओसीडब्ल्यू** (भवन तथा निर्माण निधि)		डीएमएफ
संख्या	**राज्य**	**खाद्यान्न मात्रा (अप्रैल-नवंबर)** **एमटी**	**लाभार्थी**	**दाल/ चना मात्रा (अप्रैल - नवंबर) (एमटी)**	**लाभार्थी**	**अग्रिम या प्रतिपूर्ति के पक्ष में पहुंचाया गया**	**हस्तांतरित राशि (लाख में)**	**लाभार्थियों की सं.**	**राशि (करोड़ रु।)**	**क्रेडिट खातों कि सं.**	**राशि (करोड़ रु।)**	**लाभार्थियों की सं.**	**राशि (लाख में)**	**लाभार्थियों की सं.**	**राशि (करोड़ रु।)**	**लाभार्थियोंकी सं.**	**कुल राशि (लाख रु.)**	**राशि (करोड़ रु।)**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2,383	59,100	122	16,350	22,354	157	10,677	2.14	23,064	3.46	3,238.00	155.91	5,928	0.59	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	7,62,024	5163	46,95,820	939.16	60,13,565	902.03	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	93.27	19,67,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	76,658	518	66,323	13.26	1,80,119	27.02		0	34,139	3.41	3,000	60	
4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	52,70,571	36257	18,61,715	372.34	95,34,385	1430.16	9,772.00	252.73	8,40,984	84.10	2,70,000	2,700	0.65
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	1,53,47,936	111171	58,99,824	1179.96	2,33,15,732	3497.36	67,545.00	4,287.92	36,64,811	366.48	0	0	0
6	चंडीगढ़	10,167	2,59,080	486	63,670	246	2	429	0.09	1,10,537	16.58	23,805.00	2,034.29	3,415	0.34	6,670	400	
7	छत्तीसगढ़	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	39,71,169	32416	21,67,441	433.49	78,57,012	1178.55	84,417.00	6,404.33	8,52,275	85.23	0	0	4.36

8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव								0.00	52,817	7.92			9,588	0.96	0	0	
		10,568	2,58,328	519	65,240	25,360	169	13,531	2.71	17,387	2.61		0	1,376	0.14	0	0	
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	1,95,912	1263	12,075	2.42	20,30,271	304.54	41,521.00	3,642.58	1,56,436	15.64	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	2,108	14	7,854	1.57	69,987	10.50	16,563.00	1,265.92	2,061	0.21	5,117	307	
11	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	49,09,689	32592	46,85,062	937.01	71,08,005	1066.20	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	68.90	4,83,196	4,832	22
12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,333	15,15,279	9902	15,14,497	302.90	34,16,299	512.44	83,035.00	6,403.61	3,27,269	32.73	3,50,621	17,531	15.85
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	2,92,574	1965	8,70,609	174.12	5,84,184	87.63	48,762.00	3,629.35	1,11,863	11.19	1,21,281	7,461	0
14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	20,09,414	14574	9,20,451	184.09	10,49,256	157.39	43,121.00	2,055.78	143289 (including Ladakh)	14.33	1,55,975	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	53,60,642	37520	12,31,912	246.38	72,27,042	1084.06	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	128.89	0	0	9.66
16	कर्नाटक	15,41,056	3,86,45,940	80,975	1,27,22,730	57,07,480	37831	48,39,093	967.82	79,87,088	1198.06	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	139.84	13,62,438	68,122	118.09
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	5,11,114	3323	27,16,844	543.37	24,13,289	361.99	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	68.83	4,54,124	4,541	0
18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	19,172	166	0	0.00	9,951	1.49	247	21.08	Included in J&K above		Included in J&K above	0	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	517	3	0	0.00	2,867	0.43		0	324	0.03	520	33	

20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	1,13,35,496	77378	68,12,020	1362.40	1,66,22,091	2493.31	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	220.60	8,91,850	17,837	5.1
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	76,20,813	50513	86,32,718	1726.54	1,29,47,062	1942.06	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	116.84	8,94,408	17,888	59.5
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	2,76,213	2120	2,83,457	56.69	5,04,169	75.63		0	61,972	6.20	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	1,96,213	1408	1,15,638	23.13	2,68,908	40.34	73,342.00	2,224.82	54,127	5.41	24,730	1,237	
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	55,270	420	69,425	13.89	58,176	8.73		0	27,538	2.75	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	89,967	593	1,81,008	36.20	1,57,792	23.67		0	49,210	4.92	19,046	381	
26	ओडिशा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	83,65,761	57172	20,03,185	400.64	81,21,020	1218.15	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	202.70	20,83,288	31,249	99.49
27	पुडुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	31,098	203	9,715	1.94	83,926	12.59	16,456.00	1,011.52	28,757	2.88	0	0	
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	24,53,238	16351	17,52,498	350.50	33,22,186	498.33	79,150.00	5,054.89	1,40,404	14.04	2,89,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	1,11,23,374	73858	51,64,391	1032.88	1,56,13,962	2342.09	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	98.78	22,30,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	21,301	165	0	0.00	42,552	6.38		0	18,332	1.83	7,836	157	
31	तमिल नाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	61,85,688	41390	35,59,533	711.91	60,75,989	911.40	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	181.47	13,70,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	7,24,662	1,80,62,980	15,804	52,68,030	18,74,171	13036	33,31,468	666.29	52,60,800	789.12	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	66.60	8,30,324	12,455	0
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	4,46,819	3747	1,90,441	38.09	4,31,770	64.77		0	1,38,473	13.85	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	14,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	2,70,74,796	181728	1,76,75,849	3535.17	3,18,13,530	4772.03	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	525.74	18,25,415	35,395	0.46
35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	7,62,313	5015	6,74,688	134.94	12,67,372	190.11	41,863.00	3,234.58	2,15,109	21.51	2,28,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	1,72,88,933	116938	0	0.00	1,89,95,377	2849.31	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	213.30	21,98,349	21,983	0.46
	कुल	**2,97,51,729**	**75,80,4**	**13,26,**	**18,32,1**	**14,12,0**	**96704**	**8,94,54**	17890.9	**20,65,0**	30975.0	**39,85,4**	**2,55,69**	**2,81,45**	2814.50	**1,82,67,**	**3,81,**	**502.33**

			0,523	**516**	**5,657**	**1,683**	**1**	**,616**	2	**0,000**	0	**86.00**	**6.54**	**,039**		**685**	**702**	

अनुबंध।

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2311

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान से अर्जित ब्याज पर कर

2311 श्री वि. विजयसाई रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रतिवर्ष 2.5 लाख रूपये से अधिक भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान से अर्जित ब्याज पर कर लगाने संबंधी बजट प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसा उपाय उन कर्मचारियों के लिए हानिकारक होगा जो अपने बच्चों की शिक्षा, विवाह इत्यादि के लिए पैसा बचाते हैं;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज की दर वर्ष 2010 में 9.5 प्रतिशत से लगातार कम होते-होते अब 8 प्रतिशत रह गई है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने तथा अंशदान 10 लाख रूपये से अधिक होने पर ही कर लगाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) वित्त विधेयक, 2021 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ("इस अधिनियम") की धारा 10 के उपवाक्य (11) और उपवाक्य (12) में परन्तुक जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह प्रावधान किया जा सके कि इन उपवाक्यों के प्रावधान 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद उस ब्याजगत आय पर लागू नहीं होंगे, जो कि पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति के खाते में उदभोक्त हुई हो और जिस हद तक यह योगदान की राशि या सकल राशि से संबंधित हो जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो और जोकि पिछले वर्ष उस कोष के दो लाख, पचास हजार रूपए से अधिक हो और इसकी गणना उस तरीके से की जाएगी जो कि विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ख) यह प्रस्ताव इसलिए किया गया था कि देखने में आया है कि कुछ कर्मचारी भविष्य निधियों में बहुत अधिक अंशदान कर रहे हैं और इन अंशदानों पर प्राप्त संपूर्ण जमा/प्राप्त ब्याज पर इस अधिनियम की धारा 10 के उपवाक्य (11) और उपवाक्य (12) के तहत छूट प्राप्त है। इस छूट को अनुचित पाया गया, चूँकि बिना किसी अवसीमित लाभ पर छूट केवल उन्हीं को दी जा सकती है जो अपने हिस्से के रूप में इन निधियों में एक बड़ी राशि का अंशदान करते हैं। अतः अनुच्छेद 10 के उपवाक्य (11) और उपवाक्य (12) में प्रदत्त लाभों को सीमित करने हेतु प्रस्तावित संशोधन को वित्त विधेयक, 2021 में जोड़ा गया है।

(ग) किसी भी विशेष वित्त वर्ष हेतु, ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 60 (4) के तहत इपीएफ सदस्यों के खातों पर आकलित ब्याज दर, सभी आय एवं देयताओं पर आधारित हो तो ऐसा कोई भी निश्चित/मानक ब्याज दर नहीं है जिससे कि घोषित ईपीएफ के ब्याज दर की तुलना की जा सके और कर्मचारियों के लाभ/हानि का पता लगाया जा सके। ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा किसी निश्चित वर्ष की आय पर निर्भर एक प्रगतिशील कार्य है।

2010-11 से 2019-20 तक वर्षवार घोषित ब्याज दरः

वर्ष	ब्याज दर (प्रतिशत में)
2010-11	9.50
2011-12	8.25
2012-13	8.50
2013-14	8.75
2014-15	8.75

वर्ष	ब्याज दर (प्रतिशत में)
2015-16	8.80
2016-17	8.65
2017-18	8.55
2018-19	8.65
2019-20	8.50

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) इसके कारणों का उल्लेख भाग (ख) में किया गया है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2488

बुधवार, 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन, 1942 (शक)

भविष्य निधि के भुगतान में विलंब

2488. डॉ. फौजिया खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के भुगतान से संबंधित कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): दावा निपटान निरंतर प्राप्ति और दावों के निपटान के साथ एक गतिशील प्रक्रिया है। हर तरह से पूरे दावों के निपटान की अवधि 20 दिन है। 28.02.2021 तक (वर्ष 2020-21 के दौरान) भविष्य निधि (पीएफ) के भुगतान हेतु 20 दिन से अधिक लंबित राज्य-वार मामलों की संख्या को दर्शाता विवरण संलग्न है। लंबित दावे 15,351 हैं जो उस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल 2.91 करोड़ दावों का 0.053% है।

ऐसे लंबित मामलों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कमी पाए जाने पर अभिदाताओं से मांगे गए स्पष्टीकरण भी शामिल हैं।

(ग): सभी प्रकार के पीएफ दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए जो इस प्रकार उठाए जा रहे कदम हैं :-

I. पूर्व पीएफ खाते के समेकन के लिए भविष्य निधि के सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्याओं (यूएएन) का आबंटन और नियोजन के परिवर्तन के मामले में सुवाह्यता ।

जारी–2/

II. दावों का बाधारहित अंतरण सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओटीसीपी)

III. ऑनलाइन मोड के माध्यम से दावों को प्रस्तुत करने की सुविधा ऐसे अभिदाताओं के लिए शुरू की गई है जिन्होंने यूएएन से अपना केवाईसी जोड दिया है।

IV. कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है और यूनिफाईड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐज गर्वनेंस (उमंग) एप्लीकेशन के माध्यम से दी गई हैं, जिससे सदस्य अपनी पास बुक को देख सकते है, अपने दावों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और दावा फार्म को ऑन लाइन आदि प्रस्तुत कर सकते हैं।

V. आहरण के लिए पहले के बहुविध दावा फार्मों को हटाकर एकल पृष्ठ सम्मिश्र दावा फार्म लागू किया गया है।

VI. अब किसी सदस्य से चिकित्सा प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा वह आहरण पाने के लिए केवल स्व-सत्यापन कर सकता है।

VII. अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

*

*****

अनुबंध

"भविष्य निधि के भुगतान में विलंब" के संबंध में डा, फौजिया खान, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2488 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

28/02/2021 की यथा स्थिति 20 दिन से अधिक लंबित पीएफ दावों का राज्य-वार डाटा		
क्र.सं.	**राज्य**	**20 दिन अधिक लंबित**
1	पश्चिम बंगाल	4,948
2	कर्नाटक	2,910
3	हरियाणा	2,518
4	महाराष्ट्र	1,501
5	उत्तराखंड	1,086
6	असम	720
7	मध्य प्रदेश	434
8	उत्तर प्रदेश	432
9	दिल्ली	353
10	तमिलनाडु	178
11	छत्तीसगढ़	127
12	केरल	80
13	बिहार	15
14	गुजरात	9
15	चंडीगढ़	8
16	ओड़िशा	8
17	तेलंगाना	7
18	राजस्थान	4
19	गोवा	3
20	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
21	झारखंड	2
22	पुडुचेरी	2
23	मेघालय	1
24	आंध्र प्रदेश	1
25	त्रिपुरा	1
	कुल जोड	**15,531**

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2488

बुधवार, 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन, 1942 (शक)

भविष्य निधि के भुगतान में विलंब

2488. डॉ. फौजिया खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के भुगतान से संबंधित कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): दावा निपटान निरंतर प्राप्ति और दावों के निपटान के साथ एक गतिशील प्रक्रिया है। हर तरह से पूरे दावों के निपटान की अवधि 20 दिन है। 28.02.2021 तक (वर्ष 2020-21 के दौरान) भविष्य निधि (पीएफ) के भुगतान हेतु 20 दिन से अधिक लंबित राज्य-वार मामलों की संख्या को दर्शाता विवरण संलग्न है। लंबित दावे 15,351 हैं जो उस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल 2.91 करोड़ दावों का 0.053% है।

ऐसे लंबित मामलों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कमी पाए जाने पर अभिदाताओं से मांगे गए स्पष्टीकरण भी शामिल हैं।

(ग): सभी प्रकार के पीएफ दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए जो इस प्रकार उठाए जा रहे कदम हैं :-

I. पूर्व पीएफ खाते के समेकन के लिए भविष्य निधि के सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्याओं (यूएएन) का आबंटन और नियोजन के परिवर्तन के मामले में सुवाह्यता ।

जारी–2/

II. दावों का बाधारहित अंतरण सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओटीसीपी)

III. ऑनलाइन मोड के माध्यम से दावों को प्रस्तुत करने की सुविधा ऐसे अभिदाताओं के लिए शुरू की गई है जिन्होंने यूएएन से अपना केवाईसी जोड दिया है।

IV. कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है और यूनिफाईड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐज गर्वनेंस (उमंग) एप्लीकेशन के माध्यम से दी गई हैं, जिससे सदस्य अपनी पास बुक को देख सकते है, अपने दावों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और दावा फार्म को ऑन लाइन आदि प्रस्तुत कर सकते हैं।

V. आहरण के लिए पहले के बहुविध दावा फार्मों को हटाकर एकल पृष्ठ सम्मिश्र दावा फार्म लागू किया गया है।

VI. अब किसी सदस्य से चिकित्सा प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा वह आहरण पाने के लिए केवल स्व-सत्यापन कर सकता है।

VII. अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

*

*****

अनुबंध

"भविष्य निधि के भुगतान में विलंब" के संबंध में डा, फौजिया खान, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2488 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

28/02/2021 की यथा स्थिति 20 दिन से अधिक लंबित पीएफ दावों का राज्य-वार डाटा		
क्र.सं.	**राज्य**	**20 दिन अधिक लंबित**
1	पश्चिम बंगाल	4,948
2	कर्नाटक	2,910
3	हरियाणा	2,518
4	महाराष्ट्र	1,501
5	उत्तराखंड	1,086
6	असम	720
7	मध्य प्रदेश	434
8	उत्तर प्रदेश	432
9	दिल्ली	353
10	तमिलनाडु	178
11	छत्तीसगढ़	127
12	केरल	80
13	बिहार	15
14	गुजरात	9
15	चंडीगढ़	8
16	ओड़िशा	8
17	तेलंगाना	7
18	राजस्थान	4
19	गोवा	3
20	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
21	झारखंड	2
22	पुडुचेरी	2
23	मेघालय	1
24	आंध्र प्रदेश	1
25	त्रिपुरा	1
	कुल जोड	**15,531**

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2490

बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए उपाय

2490. श्री सुभाष चन्द्र सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) औपचारिक बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं और नीतियां मौजूद हैं तथा इनमें से प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाती है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनका ब्यौरा निम्नवत है:-

(i) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में लाने के उद्देश्य के लिए भी सरकार 2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को क्रियान्वित कर रही है।

इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) दोनों(समय-समय पर यथा स्वीकार्य) के निमित्त नियोक्ता के पूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष तक लाभ प्राप्त

करते रहेंगे। 3 मार्च, 2021 तक 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

इस स्कीम की पूरी अवधि के लिए पीएमआरपीवाई स्कीम का कुल परिव्यय 10178.60 करोड़ रुपये है।

(ii) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई):-

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का आरम्भ कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगारों के सृजन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा लाभों और रोजगार की हानि की बहाली के लिए किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत;

- जो कर्मचारी 15000/- रुपये से कम का मासिक वेतन ले रहा है और 1 अक्टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा था और उसके पास 1 अक्टूबर, 2020 से पहले सार्वभौम खाता संख्या या ईपीएफ सदस्य संख्या खाता नहीं था, वह लाभ का पात्र है।
- कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास सार्वभौम खाता संख्या है और 15000/- रुपये से कम का मासिक वेतन ले रहा था और उसने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार छोड़ दिया था और 30.09.2020 तक किसी भी ईपीएफ में शामिल प्रतिष्ठान में नौकरी नहीं की है वह भी लाभ लेने का पात्र है।

इस स्कीम का क्रियान्वयन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जा रहा है ताकि विभिन्न क्षेत्रों/ उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम और उन्हें अधिक कामगारों को नौकरी पर रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। एबीआरवाई के अंतर्गत भारत सरकार ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान की नियोजन क्षमता के आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों के हिस्से (मजदूरी का 12%) और नियोक्ताओं के हिस्से (मजदूरी का 12%) के अंशदान का भुगतान अथवा केवल कर्मचारियों के हिस्से के अंशदान को जमा करा रही है।

यह स्कीम 01 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुई है और यह पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 30 जून, 2021 तक खुली रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से 2 वर्षों के लिए सहायिकी का भुगतान करेगी। स्कीम की पूरी अवधि के लिए एबीआरवाई स्कीम का कुल परिव्यय 22810 करोड़ रुपये है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2498

बुधवार, 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन, 1942 (शक)

पत्रकारों की कार्य संबंधी स्थितियां

2498. डॉ. प्रकाश बांडा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मचारी और पत्रकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, ईएसआई पेंशन योजना (योजनाएं) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है;

(ख) देश में पत्रकारों के वेतन, सुविधाओं आदि सहित कार्य की स्थितियों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर में इसके कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 अपने दायरे के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए भी रोजगार की शर्तों और सेवा शर्तों के विनियमन को शामिल करता है। श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में कार्य घंटे संबंधी मामलों, अवकाश निर्धारण और मजदूरी की संशोधित दरों, जिसमें वेतन बोर्ड का गठन शामिल है, का समाधान करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 दिनांक 31.12.1956 से समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के वर्ग हेतु लागू है और दिसम्बर, 2007 से निजी क्षेत्र के इलैक्ट्रॉनिक

मीडिया कंपनियों के लिए विस्तारित किया गया है। इन प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सांविधिक योजनाओं के सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र हैं। ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर की गई इकाइयों/प्रतिष्ठानों में नियोजित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति और पत्रकार जो प्रति माह 21,000/- रुपये तक का वेतन पाते हैं, वे अपनी पात्रता के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अत्यधिक विपत्ति में जी रहे पत्रकारों तथा उनके परिजनों को या पत्रकारों की मृत्यु होने पर या पत्रकारों की स्थायी निःशक्तता, बड़ी बीमारियों के मामले में एवं दुर्घटनाएं जिसमें गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े, उस दशा में पत्रकारों को भी तत्काल आधार पर एक बारगी अनुग्रही राहत प्रदान करने के लिए “पत्रकार कल्याण योजना” चला रही है।

(ग): वेतन बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के उत्तरदायित्व में विशेष सेल बनाना, वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना, मंत्रालय को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना और वेतन बोर्डों की सिफारिशों को शीघ्र और तात्कालिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को तैयार करना शामिल है। मंत्रालय में केन्द्र स्तर पर प्रबोधन समिति है जो राज्यों/संघ राज्यों द्वारा की गई वेतन बोर्ड सिफारिशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2503

बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

मंत्रालय के अंतर्गत अभिकरण

2503. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय ने, मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए स्थापित अभिकरणों को काम सौंपने के लिए कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी निकायों द्वारा कितने परामर्शी अभिकरणों को शामिल किया गया है, उनके नाम क्या-क्या हैं और भुगतान किए गए शुल्क सहित उन्हें कौन-कौन से कार्य सौंपे गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, नहीं। अभिकरणों को काम सौंपने के लिए इस मंत्रालय की अपनी कोई नीति/दिशा-निर्देश नहीं हैं। यह मंत्रालय सामान्य वित्तीय नियम, 2017, कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाओं की अधिप्राप्ति के मैनुअल में उपबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/नियमों एवं अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है। इस मंत्रालय के स्वायत्त निकायों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2504

बुधवार, 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन, 1942 (शक)

भविष्य निधि खाते की पोर्टेबिलिटी

2504. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम' के अंतर्गत अब तक कितने श्रमिकों को भविष्य निधि खाते की पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है और देश में ऐसे कितने भविष्य निधि खाते हैं, सरकार द्वारा इस धनराशि को सही व्यक्ति को भेजने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त अदावाकृत धनराशि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कतिपय खातों को 'निष्क्रिय खाते' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं।

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, कुल निष्क्रिय राशि 2827.29 करोड़ रुपये है तथा ऐसे खातों की संख्या 9,77,763 है।

सही व्यक्तियों को देय राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) सदस्यों को उनकी पीएफ संचित राशियां अंतरित करने या आहरण करने के लिए शिक्षित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से समय-समय पर जागरुकता अभियान आरंभ किए गए हैं।

(ii) 2014 से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का आबंटन करना आरंभ कर दिया है जो नियोक्ताओं की मध्यस्था के बिना सदस्यों की पहचान करने में समर्थ बनाएगा। यूएनएन को धीरे-धीरे आधार और अन्य केवाईसी विवरणों के साथ जोड़ा जा रहा है।

(iii) अक्तूबर, 2017 से, यूएएन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया था।

उपर्युक्त सुविधाएं कोविड महामारी के दौरान भी सक्रिय थीं ताकि ईपीएफ के सदस्य इन सेवाओं को निर्बाध प्राप्त करते रहें।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पेंशनधारकों के लिए एक चिकित्सा योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन कर दिया है।

* ****

अनुबंध

भविष्य निधि खाते का सुवाह्यता के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम, माननीय सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2504 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3598
2	आंध्र प्रदेश	634391
3	अरुणाचल प्रदेश	1063
4	असम	61025
5	बिहार	228522
6	चण्डीगढ़	292031
7	छत्तीसगढ़	270154
8	दिल्ली	2139414
9	गोवा	127202
10	गुजरात	2095154
11	हरियाणा	2259161
12	हिमाचल प्रदेश	221105
13	जम्मू और कश्मीर	17611
14	झारखण्ड	276936
15	कर्नाटक	3866887
16	केरल	350792
17	लद्दाख	179
18	मध्य प्रदेश	617485
19	महाराष्ट्र	6055674
20	मणिपुर	2238
21	मेघालय	5173
22	मिजोरम	282
23	नागालैण्ड	848
24	ओडिशा	351871
25	पंजाब	380677
26	राजस्थान	739755
27	सिक्किम	11935
28	तमिलनाडु	2933113
29	तेलंगाना	1515592
30	त्रिपुरा	4834
31	उत्तर प्रदेश	1457658
32	उत्तराखण्ड	456082
33	पश्चिम बंगाल	887982
	कुल	**2,82,66,424**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2505

बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

मजदूरों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2505. ले. जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (रिटा.):

श्री विजय पाल सिंह तोमर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार, योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजना से कितने मजदूरों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने मजदूरों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए इसके प्रयासों के अनुपूरक के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित योजना नामत: राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। तथापि, एनसीएस योजना में श्रमिकों से संबंधित कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं के लिए नियोजन संबंधी सहायता दी जाती है। एनसीएस परियोजना का उद्देश्य नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं को जॉब मैचिंग, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना आदि जैसी विभिन्न नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवाएं राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और कॉल सेंटर /हेल्प डेस्क द्वारा सहायता की जाती है। एनसीएस के अंतर्गत इन सेवाओं तक एनसीएस पोर्टल, रोजगार केन्द्रों (कैरियर केन्द्र), सामान्य सेवा केन्द्रों आदि जैसे बहुविध प्रदायगी माध्यमों से पहुंचा जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीएस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा अनुबद्ध है।

* ****

"मजदूरों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में ले. जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (रिटा.) और श्री विजय पाल सिंह तोमर द्वारा पूछे गए, दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

[लाख रुपये में]

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	78.54	96.06
3	अरुणाचल प्रदेश	-	21.18	-
4	असम	-	16.19	44.25
5	बिहार	6.96	-	151.04
6	छत्तीसगढ	-	5.69	51.09
7	दिल्ली	-	-	-
8	गोवा	-	-	2.75
9	गुजरात	-	-	35.25
10	हरियाणा	-	-	20.3
11	हिमाचल प्रदेश	-	4.57	-
12	जम्मू और कश्मीर	-	-	110.63
13	झारखंड	9.37	-	97.36
14	कर्नाटक	12.49	18.07	95.33
15	केरल	-	-	66.6
16	लद्दाख	-	-	-
17	लक्षद्वीप	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	19.8	-	29.7
19	महाराष्ट्र	-	26.37	24.79
20	मेघालय	5.38	-	-
21	मिजोरम	-	-	37.56
22	नागालैंड	-	-	31.39
23	ओडिशा	-	11.92	84.61
24	पुड्डुचेरी	-	7.84	20.84
25	पंजाब	-	-	21.58
26	राजस्थान	-	-	329.85
27	सिक्किम	-	16.98	-
28	तमिलनाडु	6.66	-	206.61
29	तेलंगाना	7.42	6.03	122.7
30	त्रिपुरा	-	-	34.27
31	उत्तर प्रदेश	4.13	27.64	301.46
32	उत्तराखंड	6.58	29.58	20.21
33	पश्चिम बंगाल	-	135.15	74.35

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2513

बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

बेरोजगारी दर

2513 श्री के.जे.एल्फोंस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली तिमाही में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है लेकिन उसी तिमाही में अर्थव्यवस्था में मजबूती आयी है;

(ख) उक्त अवधि में कितने प्रतिशत कर्मचारी/मजदूर काम पर वापस आ गए हैं; और

(ग) कोविड पूर्व अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत प्रवासी कामगार काम पर वापस आए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को नए रोजगारों के सृजन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा लाभों और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि की बहाली के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का क्रियान्वयन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जा रहा है ताकि एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम और उन्हें अधिक कामगारों को नौकरी पर रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। एबीआरवाई के अंतर्गत, भारत सरकार ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान की नियोजन क्षमता के आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों के हिस्से (मजदूरी का 12%) और नियोक्ताओं के हिस्से (मजदूरी का 12%) के अंशदान का भुगतान अथवा केवल कर्मचारियों के हिस्से के अंशदान को जमा करा रही है। एबीआरवाई के अंतर्गत 01.10.2020 से लगभग 16.5 लाख लाभार्थियों ने इस स्कीम में स्वयं को पंजीकृत कराया गया है। इनमें से शामिल लगभग 13.64 लाख नए लाभार्थी हैं जिनके लिए 01.10.2020 को या उसके बाद यूएन सृजित किया गया है और लगभग 2.86 लाख फिर से शामिल हुए हैं जो 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए थे तथा 01.10.2020 से फिर से नौकरी में आ गए हैं।

******

भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.#2698

उत्तर देने की तारीख 18.03.2021

जनजातीय उप-योजना को कार्यान्वित किया जाना

2698# श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में जनजातीय आबादी के कल्याण और विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों से विशेष रूप से जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (घ): सरकार देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) / अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) को कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, नीति आयोग द्वारा 40 केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को जनजातीय विकास के लिए एसटीसी निधियों के रूप में प्रति वर्ष उनके कुल योजना आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के लिए बाध्य

किया गया है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि संबंधी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उनकी योजनाओं के तहत एसटीसी निधियां व्यय की जाती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को दूर करते हुए इन पहलों को योजक प्रदान करता है। गत प्रत्येक तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एसटीसी के तहत प्रदान / निर्मुक्त / व्यय की गई निधियों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर बाध्य मंत्रालयों / विभागों की योजनाओं / कार्यक्रमों की एक सूची **अनुलग्नक I** पर दी गई है| इसके अतिरिक्त गत प्रत्येक तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं / कार्यक्रमों की सूची तथा इसके साथ इन योजनाओं / कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त / व्यय की गई निधियां **अनुलग्नक II** पर दी गई है।

जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। यह मुख्य रूप से उनकी पारंपरिक जीवन शैली, अधिवासों की दूरस्थता, फैली हुई जनसंख्या और विस्थापन, रोजगार अवसरों की कमी, जागरूकता की कमी आदि के कारण है। हालांकि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित दशकीय जनगणना, बड़े पैमाने पर नमूना (सैम्पल) सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की जीवन स्थितियों में काफी सुधार हुआ है, उदाहरणत: वर्ष 2001 में अजजा की साक्षरता दर 47.1% से बढ़कर वर्ष 2011 में 59% हुई है। वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XI-XII) स्तर पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 में 38.5% से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 42.7% हो गया है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 62.1 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3, 2005-06) से घटकर 44.4 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4, 2015-16) हो गई है, पाँच वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर 95.7 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3, 2005-06) से घटकर 57.2 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4, 2015-16) हो गई है, तथा संस्थागत प्रसूति 17.7% (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3, 2005-06) से बढ़कर 68.0% (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4, 2015-16) हो गई है। पूर्व योजना आयोग के अनुमानों

के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अजजा लोगों का प्रतिशत 2004-05 में 62.3% से घटकर 2011-12 में 45.3% हो गया है।

अनुलग्नक I

"जनजातीय उप-योजना को कार्यान्वित करने" के संबंध में दिनांक 18.03.2021 को श्रीमती कांता कदम द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बाह्य मंत्रालयों / विभागों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) के संबंध में उपलब्ध / निर्मुक्त / व्यय की गई एसटीसी योजना-वार निधियां

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	योजनाएं	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 * (11 मार्च 2021 तक)
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	फसल बीमा योजना-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	753.31	975.17	1074.14	1001.11
		किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	241.11	472.83	1266.88	1373.55
		प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - प्रति बूंद अधिक फसल	245.70	275.86	308.11	185.17
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	283.47	319.52	296.37	123.02
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	129.89	182.23	204.85	166.98
		उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	24.63	71.02	63.82	32.03
		राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना	12.02	15.87	8.01	8.97
		वर्षा क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	26.00	36.04	26.14	17.15
		परम्परागत कृषि विकास योजना	22.54	29.88	26.74	27.35
		राष्ट्रीय कृषि परियोजना- वानिकी	5.54	4.56	4.56	4.20
		राष्ट्रीय तेल बीज और तेल पाम मिशन	18.75	...	...	--
		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	246.58	246.73	176.02	167.00

		बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन	16.49	29.09	15.17	9.57
		कृषि विस्तार उप-मिशन	81.62	98.44	94.70	94.19
		सूचान प्रौद्योगिकी	...	2.17	2.29	1.16
		कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन	62.95	135.16	96.00	126.84
		कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना	10.40	9.62	17.98	30.52
		कृषि विपणन-कृषि विपणन पर एकीकृत योजना	15.31	11.10	17.85	3.08
		राष्ट्रीय बांस मिशन	...	47.03	27.19	18.49
		कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को दलहन का वितरण	...	...	63.08	0.00
		प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	...	...	…	5766.55
		प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना	...	392.44	4644.29	0.00
2	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग**	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान जिसमें ऑग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च शामिल हैं	12.42	11.08	9.83	6.92
		फसल विज्ञान	6.21	20.60	21.00	16.88
		बागवानी विज्ञान	3.73	4.86	7.46	7.30
		पशु विज्ञान	4.97	9.54	11.90	9.82
		मत्स्य पालन विज्ञान	1.24	2.98	3.20	4.76
		कृषि विस्तार	31.05	27.71	29.83	30.46
		कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों	33.54	29.94	22.69	16.13
3	**पशुपालन और डेयरी विभाग**	मत्स्य पालन समेकित विकास और प्रबंधन	...	31.51	...	--
		राष्ट्रीय डेयरी योजना (ईएपी)	...	27.95	...	--
		राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	...	24.22	22.79	0.00
		डेयरी उद्यमिता विकास	...	27.98	22.36	0.00
		राष्ट्रीय गोकुल मिशन	...	66.72	29.97	25.86
		राज्य सहकारी डेयरी संघों को समर्थन	...	0.26	8.60	0.00
		पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	...	35.17	31.77	16.00

		राष्ट्रीय पशुधन मिशन	...	24.35	29.87	50.25
		पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	...	3.90	3.24	--
		डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष	...	0.86	2.29	0.00
		मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	...	0.08	...	--
		राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड	...	8.49		--
		पशुपालन अवसंरचना विकास	...	...	...	0.00
		पैर तथा मूंह में होने वाली बिमारियों (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	...	...	69.98	106.13
4	**आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय**	राष्ट्रीय आयुष मिसाइल (एनएएम) (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	20.57	...	...	22.00
		केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	3.00	3.00	3.00	7.20
		केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	1.00	...	...	--
		केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	1.00	1.00	1.00	1.00
		राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस से सहायता)	...	...	22.00	--
		अन्य स्वायत निकाय-सकल बजटीय सहायता से समर्थन (जीबीएस)	...	...	...	0.50
5	**कोयला मंत्रालय**	कोयला खान में संरक्षण, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास	22.05	1.50	16.02	20.00
		कोयला और लिग्नाइट की खोज	14.35	29.03	80.58	22.84
		अनुसंधान और विकास	...	...	2.15	0.00
6	**वाणिज्य विभाग**	कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)	...	1.37	...	--
		टी बोर्ड	...	6.24	6.23	1.56
		कॉफी बोर्ड	...	6.10	6.10	6.40
		रबर बोर्ड	...	6.30	6.30	2.00
		मसाला बोर्ड	...	5.00	5.00	3.50
		समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	...	...	1.36	1.99

7	**दूरसंचार विभाग**	दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा –भारत नेट	...	384.97	71.53	--
		दूरसंचार अवसंरचना के लिए दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा –दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा	...	12.00	...	--
		रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	...	107.50	--	--
		टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी-डीओटी)	0.72	...	11.75	100.41
8	**उपभोक्ता मामले विभाग**	उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार)	...	2.58	1.00	1.28
9	**खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग**	पीडीएस संचालन का सुदृढ़ीकरण	...	6.00	...	--
10	**संस्कृति मंत्रालय**	अकादमियों को समर्थन	17.23	14.96	14.14	--
		पुस्तकालयों का समर्थन	2.99	2.49		--
		बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक	0.74	0.97	1.35	--
		संग्रहालय का समर्थन	1.80	1.80	1.12	--
		एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (एएनएसआई)	0.27	0.30	0.20	--
		अनुदेयी निकाय	0.38	0.49	0.60	--
		शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएँ	...	...	...	0.00
		कला संस्कृति विकास योजना	2.02	3.44	2.02	6.42
		पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन	0.13	...	...	0.00
		पुस्तकालयों और अभिलेखागार का विकास	2.00	...	...	0.00
		पुस्तकालय और अभिलेखागार	...	...	2.49	--
11	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय**	उत्तर पूर्व परिषद की योजनाएं	84.55	148.70	141.87	--
		उत्तर पूर्व परिषद की योजनाएँ - विशेष विकास परियोजनाएँ	362.10	99.41	150.00	188.80
		पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधन का सेंट्रल पूल	280.57	194.95	197.96	143.92
		एनईआर आजीविका (ईएपी) परियोजना (एनईआरएलपी) -	70.00	90.00	12.54	--
		बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	8.11	...	3.85	12.45
		कार्बी आंगलांग स्वायत प्रादेशिक परिषद	1.50	10.00	28.01	28.92

		दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	5.88	10.00	21.11	--
		नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) – एनईएसआईडीएस प्रोग्राम	...	14.07	172.50	182.60
		नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) -हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम	...	...	13.36	--
12	**पेयजल और स्वच्छता विभाग**	एसबीएम	1694.82	1302.06	381.42	397.99
		एसबीएम	...	...	452.40	--
		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	704.91	549.98	1000.07	1122.41
13	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**	जनशक्ति विकास	35.42	40.00	30.00	16.34
		राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	20.16	33.99	51.84	30.00
		आईटी / आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना	...		...	--
		आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीबीटी में आर और डी	...	0.77	13.68	2.71
		इलेक्ट्रॉनिक शासन-तंत्र घटक	39.95	73.00	49.99	25.64
		डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	...	...	36.00	--
		प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शिक्षा अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)	...	78.00	30.00	10.00
14	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**	राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनसीईएफ से वित्त पोषित)	...	8.00	2.19	--
		हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्त पोषित)	...	...	6.00	--
		पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	...	1.99	7.61	6.00
		ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्तपोषित) - ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	2	12.00	15.50	--
		ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्त पोषित) -वन्य अग्नि निवारण और प्रबंधन	...	1.80	2.00	--
		वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास	0.5	10.35	12.00	12.00
		वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास (एनसीईएफ से निधिपोषित) -प्रोजेक्ट टाइगर	3	30.10	35.00	30.00

		वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास (एनसीईएफ से निधिपोषित) -प्रोजेक्ट हाथी	...	0.97	2.99	2.86
		प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्तपोषित) - जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण	...	4.00	4.00	0.50
		प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्तपोषित)-जैव विविधता संरक्षण	...	4.20	3.65	4.00
		राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	...	5.00	...	6.46
		पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	...	...	2.29	--
		राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	...	...	...	0.40
15	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना	...	5.75	0.35	3.01
16	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना	37.17	32.59	...	2584.37
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - आरसीएच लचीले पूल जिसमें रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	551.85	880.96	...	--
		आरसीएच लचीले पूल में रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्रेम आदि (सकल बजटीय सहायता)	...	...	731.65	--
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना (राष्ट्रीय निवेश कोष से सहायता)	932.16	1072.52	...	--
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन –एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना (सकल बजटीय सहायता)	...	51.77	1159.08	--
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - संचारी रोगों के लिए लचीला पूल	163.93	194.31	263.41	--
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - गैर-संचारी रोगों के लिए लचीला पूल, चोट और आघात	107.66	65.29	93.33	--
		राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - बुनियादी ढाँचा रखरखाव	587.81	718.69	907.53	--
		राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – एनयूएचएम (जीबीएस) के तहत आने वाली गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली	...	...	85.96	75.00
		राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - (राष्ट्रीय निवेश कोष से सहायता)	22.13	26.45	...	--
		राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (जीबीएस)	...	...	31.29	--
		राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (जीबीएस)	...	...	191.72	--

		तृतीयक देखभाल कार्यक्रम- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	4.12	...	...	27.96
		तृतीयक देखभाल कार्यक्रम- ट्रामा सेंटर के लिए क्षमता निर्माण	11.54	...	...	--
		तृतीयक देखभाल कार्यक्रम- कैंसर, मधुमेह, कार्डियो- संवहनी रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	31.72	14.95	15.50	--
		तृतीयक देखभाल कार्यक्रम- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	5.06	...	...	--
		स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन - नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन)	398.90	299.29	171.00	499.46
		स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन - सरकारी मेडिकल कॉलेज (यूजी सीटें) और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाना	51.55	85.76	79.48	--
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)	65.81	28.61	8.65	0.01
		आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन सेवा योजना (पीएमजेएवाई)	...	...	62.00	240.07
		राज्य औषधि नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना	...	19.63	50.50	10.54
17	**आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी जीवन मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)-स्टेट / संघटक घटक	13.27	18.81	29.67	29.74
		पीएमएवाई- शहरी / राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य आइटम	248.95	269.55	295.39	124.30
18	**स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग**	राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना	30.17	13.82	31.40	2.23
		माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना	53.99	44.96	0.13	--
		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - कार्यक्रम घटक	420.80	90.55	...	--
		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-उच्चतर शिक्षा कोष तथा माध्यमिक से सहायता	...	309.55	...	--
		शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	51.36	51.30	...	12.24
		शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ शिक्षा-साक्षर भारत	11.42	3.59	...	--
		स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम-सकल बजटीय समर्थन से सहायता	348.27	1041.27	*1048.78*	1136.25
		राष्ट्रीय स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम	662.45		...	...
		सर्व शिक्षा अभियान-सकल बजटीय समर्थन से सहायता	1296.01	1394.96	...	...
		सर्व शिक्षा अभियान-प्रारंभिक शिक्षा कोष से सहायता	1554.29	1543.09	...	...

		केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) सकल बजटीय समर्थन से सहायता	17.05	168.62	107.07	82.10
		केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से समर्थन	157.91	…	…	--
		केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से सहायता	...	...	128.66	--
		नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) सकल बजटीय समर्थन से सहायता	81.85	238.85	*225.73*	199.96
		नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)-राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	181.90		..	..
		वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए वीए / एसआरसी / संस्थानों को सहायता	3.71	..	..	..
		समग्र शिक्षा-सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से समर्थन	...	..	2444.84	3011.81
		समग्र शिक्षा-प्रारंभिक शिक्षा कोष से सहायता	...	...	1328.45	--
		समग्र शिक्षा-माध्यमिक और उच्छतर शिक्षा कोष से समर्थन	...	...	312.24	--
19	**उच्चतर शिक्षा विभाग**	केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पदोन्नत मानद विश्वविद्यालय	4.50	3.90	12.87	13.90
		उच्च शिक्षा में दिव्यांगजनों को शामिल करने पर राष्ट्रीय पहल	0.15	..	..	..
		गारंटी फंड के लिए ब्याज सब्सिडी और योगदान	150.00	4.04	23.39	4.04
		कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृति	4.96	17.84	19.42	2.04
		आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	5.51	0.82	7.52	3.50
		आभासी कक्षाओं की स्थापना और बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)	4.73	9.03	9.00	5.90
		ई शोध सिंधु	11.17	17.47	19.70	13.33
		नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी	1.00	0.49	1.60	0.82
		हिंदी निदेशालय	...	0.55	0.20	--
		वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	0.55	0.34	0.25	0.04
		केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र	0.31	..	..	..
		पीएम रिसर्च फेलोशिप	...	1.33	2.64	6.05

		राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी	0.04	0.40	...	--
		राष्ट्रीय अभियान शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	94.85	134.01	133.26	5.57
		फ्रंटियर क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	0.61	0.48	0.83	--
		डिजाइन इनोवेशन के लिए नेशनल इनोवेटिव	1.20	1.53	1.08	0.61
		उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	3.04	7.00	5.96	14.20
		उन्नत भारत अभियान	...	0.99	0.62	0.26
		उच्चतर अविष्कार अभियान	5.63	...	..	..
		इंप्रिंट अनुसंधान पहल (इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी) का कार्यान्वयन	4.24	5.20	3.97	0.00
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	95.54	179.95	140.21	143.29
		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	329.76	213.13	185.67	177.83
		आईआईटी, आंध्र प्रदेश	3.08	4.40	..	..
		आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	..	0.75	6.80	6.75
		इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	8.50	6.78	..	..
		नए आईआईटी की स्थापना	24.04	12.88	..	..
		भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को समर्थन - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	51.62	13.80	17.98	14.86
		आईआईएम, आंध्र प्रदेश	1.90	2.35	..	..
		नए आईआईएम की स्थापना	8.00	8.74	..	..
		राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का समर्थन-सकल बजटीय सहायता से समर्थन	132.92	151.53	..	..
		एनआईटी, आंध्र प्रदेश	3.00	4.70	..	..
		इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी) (बीईएसयू और सीयूएसएटी) का उन्नयन	10.00	7.00	..	..
		भारतीय विज्ञान संस्थान, शिक्षाविद अनुसंधान (आईआईएसईआर) को सहायता	55.00	28.91	27.37	41.44
		आईआईएसईआर, आंध्र प्रदेश	2.70	2.49	..	..

		भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता	8.63	11.03	7.02	7.00
		पीपीपी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	9.50	6.94	4.80	3.91
		आईआईटी, आंध्र प्रदेश	...	1.07	..	..
		विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	50.75	35.19	174.00	30.73
		पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन-टीचर्स एंड टीचिंग	5.44	8.54	8.65	1.82
		अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	4.28	11.00	14.79	7.43
		सामुदायिक कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा के लिए सहायता	0.38	3.95	..	..
		ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान)	1.90	2.21	1.50	--
		राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क	0.18	0.05	0.17	0.25
		भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से समर्थन	11.95	7.50	16.97	19.20
		अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)-सकल बजटीय सहायता से समर्थन	31.54	0.88	1.40	9.15
		अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) -मध्यमी और उच्च शिक्षा कोष से सहायता	...	30.00	13.00	..
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयू)	7.50	5.78	5.06	5.05
		भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईपी)- सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से समर्थन	15.57	*53.98*	*95.65*	38.70
		राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआरएस)	4.18	2.90	5.45	5.85
		भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	13.10	16.96	13.61	9.85
		मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों / संस्थानों को अनुदान	9.94	6.28	6.36	5.05
		नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई	0.35	0.23	4.11	2.25
		योजना और वास्तुकला के नए स्कूल	5.10	4.63	..	..
		बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर	0.45	0.30	0.62	0.22

		अन्य संस्थानों को सहायता - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	15.38	10.11	13.20	10.79
		विश्व स्तर के संस्थान-सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	...	17.30	15.09	165.84
		प्रधान मंत्री बालिका छात्रावास	0.75	1.50	0.24	0.00
		केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	...	0.40	...	0.09
		आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	...	...	0.02	0.07
		केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को अनुदान	164.87	178.17	260.68	263.99
		शैक्षणिक और अनुसंधान संवर्धन (स्पार्क) के संवर्धन के लिए योजना	...	2.95	6.88	--
		भारत में अध्ययन	...	0.06	2.30	--
		विज्ञान और (स्टार्स) में परिवर्तनकारी और उन्नत खोज के लिए योजना	...	1.74	1.25	1.30
		राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और -आईआईईएसटी को सहायता - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	...	...	119.95	110.52
		योजना और वास्तुकला के स्कूल (एसपीए) - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता करें	...	...	3.88	3.10
		जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना	...	...	...	12.00
20	**श्रम और रोजगार मंत्रालय**	श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसएस)	8.74	2.04	0.41	0.06
		न्याय निर्णयन मशीनरी का सुदृढ़ीकरण और लोक अदालतों की पकड़	...	0.21	...	...
		बेहतर सामंजस्य, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, मुख्य श्रम आयुक्त के लिए मशीनरी	0.26	0.53	0.90	...
		असंगठित मजदूरों के राष्ट्रीय मंच का निर्माण और आधार युक्त पहचान संख्या का आवंटन	...	...	...	4.20
		कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	415.64	401.80	432.95	128.26
		असम में वृक्षारोपण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	9.02	...	1.23	--
		राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रम को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है	8.57	9.65	7.91	2.68

		रोजगार सृजन कार्यक्रम -राष्ट्रीय कैरियर सेवा	4.79	6.67	5.64	4.31
		रोजगार सृजन कार्यक्रम - प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	38.42	297.00	318.00	--
		रोजगार सृजन कार्यक्रम – अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन	3.23	2.83	2.27	3.87
		रोजगार सृजन कार्यक्रम - रोजगार प्रोत्साहन योजना	0.34	0.51	0.65	...
		कारखानों, बंदरगाहों और डॉक में डीजीएफएएसएलआई संगठन और ओएसएच को मजबूत करना	0.07	0.51	0.35	...
		क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना	0.10	...	...	...
		खान दुर्घटनाओं का विश्लेषण और सूचना डेटाबेस का आधुनिकीकरण	0.10	...	...	...
		खान सुरक्षा महानिदेशालय की व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करना	0.19	0.77	0.89	...
		केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	5.44	7.01	10.48	...
		राष्ट्रीय श्रम संस्थान	0.90	1.06	1.03	...
		श्रमिक कल्याण योजना	...	18.03	8.40	3.28
		असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	1.26	...	24.34	--
		प्रधानमन्त्री श्रम योगी मनधन	...	...	30.00	2.00
		प्रधान मंत्री करम योगी मनधन	...	...	...	43.00
		आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना	...	...	...	541.84
21	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**	खादी अनुदान (केजी)	1.11	21.96	...	...
		ग्रामोद्योग (VI) अनुदान	8.80		...	...
		खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	...	12.60	...	...
		बाजार संवर्धन और विकास सहायता	23.00	12.39	9.16	...
		पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई)	0.59	12.00	15.80	20.63
		कॉयर विकास योजना	1.72	6.75	5.06	1.23

		एएसपीआईआरई (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना)	2.00	14.00	...	...
		राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकताप्रणाली (एनएमसीपी)	0.59	...	4.28	--
		प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	179.36	397.14	430.63	286.93
		ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र	1.64	3.20	...	...
		क्रेडिट सपोर्ट प्रोग्राम	246.14	246.89	139.39	...
		अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	...	...	0.02	0.02
		प्रचार सेवा संस्थान और कार्यक्रम	0.59	0.03	4.53	0.30
		अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	8.64	26.00	24.00	--
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	19.18	12.10	10.71	20.00
		अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक	15.61	38.00	32.27	10.31
		सौर चरखा मिशन	...	0.21	3.96	--
		एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम	...	23.65	57.94	100.00
		ग्रामोद्योग विकास योजना	...	...	12.00	2.78
		खादी विकास योजना	...	...	23.79	16.65
22	**खान मंत्रालय**	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	10.99	10.59	23.80	23.26
		भारतीय खान ब्यूरो	...	...	...	0.00
23	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**	छोटा हाइड्रो पावर	8.98	60.00	20.00	9.31
		सौर ऊर्जा	26.00	62.00	97.79	--
		सौर ऊर्जा	28.08	61.77	68.13	...
		बायोगैस कार्यक्रम	7.99	4.41	3.00	3.76
		मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	...	...	3.00	--
		पवन ऊर्जा	...	...	85.00	124.58
		ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर	...	...	3.00	2.98

		किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम)	...	...	...	4.01
		किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तरमहाभियान (केयूएसयूएम)	...	...	...	9.59
24	**पंचायती राज मंत्रालय**	क्षमता निर्माण- पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पीएसए) / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	57.4	...	...	...
		राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	...	62.82	61.16	56.43
25	**बिजली मंत्रालय**	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	...	326.80	349.67	226.96
		एकीकृत बिजली विकास योजना -आईपीडीएस-अनुदान	...	127.00	304.87	115.66
		एकीकृत बिजली विकास योजना -पीडीएस-ऋण	...	42.22	51.57	--
26	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**	सड़क कार्य-रोड्स विंग्स के तहत काम करता है	523.5	2355.56	2393.57	226.12
27	**ग्रामीण विकास विभाग**	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-कार्यक्रम घटक	624.27	883.77	1229.17	1341.36
		प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण-कार्यक्रम घटक	5367.55	4493.87	4675.00	3347.20
28	**भूमि संसाधन विभाग**	भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	15	5.90	5.00	23.86
		एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम -कार्यक्रम घटक	171.02	184.08	156.54	106.09
29	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानविकी भवन	2.25	3.84	4.89	4.00
		नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	6.65	55.19	83.64	47.59
		स्वायत निकायों की सहायता	37	30.00	...	...
		विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	...	10.00	20.00	10.00
30	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - शिक्षुता और प्रशिक्षण	15.02	...	...	2.30
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	...	...	...	--
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - उद्यमिता का विकास	0.44	1.75	2.15	10.73
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - कौशल का विकास	132.13	217.36	159.99	...
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - पॉलिटेक्निक की योजना	3.37	...	...	...
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	...	...	5.73	8.87
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - शिक्षुता प्रोन्नति	...	...	3.83	--
		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	...	...	0.71	0.31

31	**दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग**	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय अध्यंतावृत्ति (पीडब्ल्यूडी)	1.17	...	...	...
		दिव्यांग छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1.1	...	...	...
		दिव्यांग छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1.48	...	...	...
		दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग	0.08	...	...	...
		सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण, शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को रोजगार	0.13	...	...	...
		दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना	4	6.00	9.98	2.10
		सहायक/अनुसांगिक उपकरणों की खरीद/फिटंग के लिए दिव्यांगजनों को साहयता	30.3	27.34	24.53	174.01
		राष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन	7.97	11.25	6.00	--
		राष्ट्रीय निकाय का समर्थन	...	...	0.06	--
		भारतीय पुनर्वास परिषद	0.06	…………	...	...
		राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	2.5	1.86	...	...
		ब्रेल प्रेस की स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता वृद्धि का समर्थन	0.76	0.74	...	...
		दिव्यांगजनों के लिए योजना दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं	14.56	...	...	...
		दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	...	22.10	5.10	0.56
		दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	...	...	16.14	--
32	**वस्त्र मंत्रालय**	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	1.50	12.84	25.69	22.57
		हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)	0.31	0.04	3.96	--
		यार्न आपूर्ति योजना	30.00	20.00	26.06	--
		डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना	...	3.02	5.47	1.52
		हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना	...	1.96	0.20	--
		अनुसंधान और विकास - हस्तशिल्प	...	0.80	5.82	1.42
		मानव संसाधन विकास- हस्तशिल्प	...	4.76	4.35	0.97

		केंद्रीय रेशम बोर्ड	30.00	30.84	71.93	69.50
		कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना	...	...	6.07	5.67
		एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	...	...	8.50	5.25
		अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	...	...	...	0.33
		उत्तर पूर्व में भू टेक्सटाइल के उपयोग के लिए योजना	...	...	...	10.34
33	**पर्यटन मंत्रालय**	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	...	...	55.00	43.59
34	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग**	भूजल प्रबंधन और विनियमन- भूजल प्रबंधन और विनियमन	...	8.81	4.86	7.88
		एचआरडी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम	0.2	0.10	0.02	--
		हर खेत को पानी	50	100.00	205.00	79.79
		बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	...	...	10.88	--
		राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन -कार्यक्रम घटक	...	...	7.00	27.26
35	**महिला और बाल विकास मंत्रालय**	किशोरियों के लिए योजना	...	24.51	16.30	--
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	...	93	213.16	35.42
		आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व कोर आईसीडीएस)	1513.49	1349.04	1557.84	868.84
36	**युवा मामले और खेल मंत्रालय**	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	0.73	1.56	4.40	1.50
		राष्ट्रीय युवा वाहिनी	4.92	4.00	6.60	4.55
		युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम -कार्यक्रम घटक	1.48	1.62	1.81	0.94
		राष्ट्रीय युवा नेताओं का कार्यक्रम	1.09	0.99	0.95	0.16
		राष्ट्रीय खेल महासंघों को खेल उत्कृष्टता-प्रोत्साहन के लिए सहायता	25	22.00	21.50	15.54
		राष्ट्रीय सेवा योजना	10.3	11.17	15.39	7.93
		खेलो इंडिया	28.23	25.03	48.08	24.04
		नेहरू युवा केंद्र संगठन	17.63	21.93	22.16	8.08
		भारतीय खेल प्राधिकरण	39.44	29.00	57.00	43.00

		लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	3.69	3.90	4.46	2.81
37	**मत्स्य विभाग**	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड	...	...	6.88	--
		एकीकृत विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन	...	...	38.99	21.91
		मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	...	...	...	0.60
		प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	...	...	...	10.56
38	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी	...	...	1273.99	--
		गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन	...	...	164.10	--
		अंडर रिकवरी (अन्य देय सब्सिडी)	...	...	174.49	--
		प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- केरोसिन	...	...	7.22	--
39	**फार्मास्यूटिकल्स विभाग**	जन औषधि योजना	...	...	...	2.86
		राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	...	...	...	10.00

नोट: * अनंतिम आंकड़े

डेटा स्रोत: (1) वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए विवरण 10 ख के अनुसार वास्तविक व्यय।

(2) वर्ष 2020-21 के लिए एसटीसी- एमआईएस पोर्टल (11/03/2021 तक)

अनुलग्नक II

"जनजातीय उप-योजना को कार्यान्वित करने" के संबंध में दिनांक 18.03.2021 को श्रीमती कांता कदम द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में कार्यान्वित योजनाओं के तहत निर्मुक्त / व्यय की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	*स्कीम का नाम*	*2017-18*	*2018-19*	*2019-20*	*2020-21(31/12/2020 तक)*
1	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	1350.00	1349.81	1349.86	505.07
2	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	1510.70*	1819.82*	2662.53*	710.80
3	अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	294.08	311.50	440.00	192.34
4	अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1463.91	1647.56	1863.33	1556.39
5	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	-	-	-	599.55
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	239.49	250.00	250.00	71.76
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन	79.00	99.99	109.98	10.75
8	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संस्था को सहायता अनुदान	119.94	114.00	94.84	10.48
9	अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	99.72	99.98	99.89	87.05
10	उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	1.00	2.00	1.90	1.89
11	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	8.59	96.85	164.64	41.38
12	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा	4.02	23.35	23.23	5.14

13	जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)	44.95	72.50	128.50	62.05
14	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एसटीएफडीसी) को समानता का समर्थन	55.00	65.00	80.00	0.00

* ईएमआरएस सहित

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3290

बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

3290. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संगठित और असंगठित क्षेत्र के कितने कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और कितने अभी भी इस लाभ से वंचित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक कामगार/श्रमिक द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कितना अंशदान किया जाता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा करवाए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2017-18 में देश में, संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र में कुल रोजगार लगभग 47 करोड़ था। इनमें से लगभग 9 करोड़ व्यक्ति संगठित क्षेत्र में और शेष 38 करोड़ व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं।

कामगारों के वर्गों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है; अर्थात

i. 10 अथवा उससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठान,
ii. 20 अथवा उससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठान,
iii. असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगार

क.रा.बी. अधिनियम,1948 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है जो 10 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले क.रा.बी.अधिसूचित क्षेत्र में स्थित सभी कारखानों और अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और इस प्रकार यह असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। ऐसे कर्मचारी जिनकी आय 21,000/- रूपये प्रतिमाह (अशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000/- रूपये) है वे क.रा.बी. योजना के अंतर्गत शामिल होने योग्य हैं और वे क.रा.बी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्तमान में, क.रा.बी योजना का विस्तार 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 575 जिलों में किया गया है। क.रा.बी योजना के अंतर्गत 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, बीमित व्यक्तियों की संख्या 3.41 करोड़ और कुल लाभार्थियों की संख्या 13.24 करोड़ है। नियोक्ताओं द्वारा 4% की दर से क.रा.बी अंशदान किए जाते हैं जिसमें से कर्मचारी अथवा कामगार अपनी मजदूरी का 0.75% तक भुगतान करते हैं और नियोक्ता उनकी मजदूरी के 3.25 % का भुगतान करता है। ऐसे अंशदानों के माध्यम से वे क.रा.बी अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभों के पात्र बन जाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार निम्नलिखित तीन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, तथापि, उक्त अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहले ही आमेलित कर लिया गया है-

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
- कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों भविष्य निधि में 12% की दर से अंशदान करते हैं। इसमें से 8.33 % को पेंशन निधि में अंतरित किया जाता है। नियोक्ता ईडीएलआई

योजना में भी मजदूरी के 0.5% की दर से अंशदान करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 4.89 करोड़ सदस्यों ने अंशदान किया है।

असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों उपलब्ध कराए जाते हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु (i) जीवन एवं अशक्तता कवर (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य कोई लाभ से संबंधित मामलों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकारें भी आवास, भविष्य निधि, शैक्षिक योजनाएं, कौशल उन्न्यन, वृद्धाश्रम आदि से संबंधित मामलों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं अशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। इन स्कीमों के अंतर्गत किसी कारणवश मृत्यु होने एवं स्थायी अशक्तता होने पर 2.0 लाख रुपये और असंगठित कामगारों को आंशिक अशक्तता होने पर 1.0 लाख रूपये तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 4.0 लाख रुपये, अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर 2.0 लाख रुपये का हितलाभ 342/- रुपये (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330/- रुपये और पीएमएसबीवाई 12/- रुपये) प्रति वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने पर प्रदान किया जाता है।

पात्र असंगठित कामगार अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से 342/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 30.12.2020 की स्थिति के अनुसार 9.70 और 21.87 करोड़ लोगों को क्रमश: पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकित किया गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से प्रदान की जा रही स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाएं एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। वर्ष 2011 की सामाजिक -आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) में चयनित वंचना एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के व्यावसायिक मानकों के आधार पर निर्धारित के पात्र लाभार्थियों की

संख्या 10.74 करोड़ परिवार (50 करोड़ लोग) है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबी-पीएमजेएवाई के साथ मिलाकर उनके अपने स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम को चलाने की लोचनीयता प्रदान करती है। एबी-पीएमजेएवाई का क्रियान्वयन कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के कवरेज का और अधिक विस्तार किया है ताकि 13.13 करोड़ परिवारों (65 करोड लोग) को इसमें शामिल किया जा सके।

व्यापारियों, दुकानदारों एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने दो प्रमुख स्कीमें नामत: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस- ट्रेडर्स) को आरम्भ किया है। इन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात उन्हें 3000/-रुपये का मासिक न्यनूतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने का पात्र होता है। ऐसे कामगार जो 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये अथवा उससे कम है, तो वे पीएम-एसवाईएम से जुड़ सकते हैं, और ऐसे व्यापारी, दुकानदार एवं स्व-नियोजित व्यक्तिय जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, तो वे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस- ट्रेडर्स) से जुड़ सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीमें हैं और इनमें लाभार्थी के प्रवेश करने के आधार पर 55 रूपये से 200 रूपये की मासिक अंशदान की सीमाएं हैं। दोनों स्कीमों का क्रियान्वयन भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। दोनों स्कीमों के अंतर्गत, 50 प्रतिशत मासिक अंशदान का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा समनुरूप राशि के अंशदान का भुगतान किया जाता है। दोनों स्कीमों के पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर्स के अंतर्गत 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की संख्या का विवरण क्रमश: 44.90 लाख और 43,700 है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3291

बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन

3291. डा.विनय पी.सहस्रबुद्धे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों के लिए पेंशन की कोई योजना आरंभ की हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए है, तत्संबंधी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दो प्रमुख योजनाएं नामत: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) और व्यापारियों, दुकानदारों एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस ट्रेडर्स)को आरम्भ किया है। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात 3000/- रुपये की न्यनूतम मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने का पात्र होता है। ऐसे कामगार जो 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये अथवा उससे कम है, पीएम-एसवाईएम से जुड़ सकते हैं और ऐसे व्यापारी, दुकानदार एवं स्व-नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, एनपीएस- ट्रेडर्स योजना से जुड़ सकते हैं। ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं हैं और इसकी मासिक अंशदान की सीमा लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये तक है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत, 50 प्रतिशत मासिक अंशदान का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा समनुरूप राशि के अंशदान का भुगतान किया जाता है। दोनों योजनाएं भारत के सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर्स योजनाओं के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: अनुबंध-क और अनुबंध-ख में दिए गए हैं।

**

****

अनुबंध-क

डा.विनय पी.सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे गए "असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन" के संबंध में 24.03.2021 के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3291 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तिगत नामांकन	सामूहिक नामांकन
1	हरियाणा	802517	92157
2	उत्तर प्रदेश	618125	224155
3	महाराष्ट्र	587940	10154
4	गुजरात	368539	
5	छत्तीसगढ	208263	
6	बिहार	193132	
7	ओडिशा	163641	
8	आंध्र प्रदेश	150718	
9	झारखंड	129188	
10	मध्य प्रदेश	123999	
11	राजस्थान	102233	179305
12	कर्नाटक	98691	
13	पश्चिम बंगाल	74070	
14	जम्मू और कश्मीर	72198	
15	तमिलनाडु	56731	
16	हिमाचल प्रदेश	41646	
17	उत्तराखंड	34484	
18	पंजाब	33076	
19	तेलंगाना	31668	
20	त्रिपुरा	28717	
21	असम	21312	
22	केरल	10417	
23	दिल्ली	8002	
24	नागालैंड	4701	
25	चंडीगढ़	3926	832
26	मणिपुर	3866	
27	मेघालय	2872	
28	अरुणाचल प्रदेश	2474	
29	अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	2123	
30	पुदुचेरी	1249	
31	गोवा	971	
32	दमन और दीव	804	
33	दादरा और नागर हवेली	759	
34	मिजोरम	606	
35	सिक्किम	122	
36	लक्षद्वीप	21	
कुल		**3983801**	**506603**
		महायोग	**4490404**

अनुबंध-ख

डा.विनय पी.सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे गए "असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन" के संबंध में 24.03.2021 के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3291 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत नामांकन
1	उत्तर प्रदेश	11593
2	छत्तीसगढ	6287
3	आंध्र प्रदेश	5752
4	गुजरात	3240
5	हरियाणा	1891
6	चंडीगढ़	1829
7	बिहार	1238
8	त्रिपुरा	1232
9	महाराष्ट्र	1175
10	पश्चिम बंगाल	1093
11	कर्नाटक	1066
12	राजस्थान	904
13	असम	855
14	उत्तराखंड	820
15	तमिलनाडु	693
16	ओडिशा	650
17	मध्य प्रदेश	649
18	तेलंगाना	547
19	झारखंड	479
20	जम्मू और कश्मीर	276
21	पंजाब	269
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	180
23	केरल	173
24	दिल्ली	165
25	पुदुचेरी	132
26	नागालैंड	122
27	हिमाचल प्रदेश	113
28	अरुणाचल प्रदेश	75
29	मेघालय	66
30	मणिपुर	61
31	दमन और दीव	16
32	दादरा और नागर हवेली	7
33	मिजोरम	5
34	गोवा	4
35	सिक्किम	3
36	लक्षद्वीप	0
	कुल	**43660**

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3302

बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के लक्ष्य और उद्देश्य

3302. श्री राजीव सातव:
श्री संजय सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) को अगले वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कदम के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत की दर को बढ़ाया गया है और इससे बेरोजगारों को लाभ मिला है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की कार्यस्थल पर स्थिति में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए 01.07.2018 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना प्रारंभ की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए कर्मचारी की दैनिक औसत आय के 25 प्रतिशत तक नकद प्रतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान की जाती है, बशर्ते कि कर्मचारी ने राहत के लिए दावा करने से तत्काल पहले दो वर्षों का बीमा-योग्य रोज़गार पूरा किया हो और उसने लगातार चार अंशदान अवधि में से प्रत्येक में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया हो।

कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार 01.07.2020 से 30.06.2021 तक किया गया है। दिनांक 24.03.2020 से बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों की पात्रता की शर्तों में छूट देने के साथ-साथ राहत दर में वृद्धि की गई है जो निम्नवत हैं:-

i. राहत की दर को कर्मचारी के प्रति दिन की औसत आय के 25% से दुगुना करते हुए 50% किया गया है।
ii. बीमित व्यक्तियों को उनकी बेरोजगारी से तत्काल पहले दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा-योग्य रोजगार में होना चाहिए और उसे बेरोजगारी से तत्काल पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान करना चाहिए और बेरोजगारी से पहले दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधि में से एक में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान करना चाहिए। इससे पहले शर्त यह थी कि बेरोजगारी से पहले कर्मचारी ने दो वर्षों के बीमा-योग्य रोज़गार सहित 4 अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान किया हो।
iii. दावा बेरोजगारी की तारीख के 30 दिन बाद देय होगा। पूर्व में यह अवधि 90 दिनों की थी।
iv. बीमित व्यक्ति के दावे को नियोक्ता द्वारा अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। दावे को किसी बीमित व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए विहित दावा प्रपत्र में ऑनलाइन अथवा सीधे शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस स्कीम के अंतर्गत 01.07.2018 से 15.03.2021 तक कुल 42,265 कर्मचारियों ने राहत प्राप्त की है।

(घ): श्रम सुधारों के भाग के रूप में, सरकार ने असंगठित कामगारों सहित कामगारों के लिए बेहतर कार्य दशाएं सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में “व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020” अधिसूचित की है। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराज्यिक प्रवासी कामगारों आदि के लिए सफाई एवं स्वच्छता, वातायन (वेंटीलेशन), प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, धूल मुक्त वातावरण, शिशु-गृह सुविधा तथा टोल फ्री हैल्पलाइन के प्रावधान हैं।

*****

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3492
उत्तर देने की तारीख 25.03.2021

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

3492. डॉ. भागवत कराड़**:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्तमान में देश के अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, आर्थिक सशक्तिकरण और पुनर्वास के संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, छात्रवृत्ति, छात्रावास और विद्यालयों की स्थापना किए जाने से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)
(क) से (ग) : सरकार देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) / अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) को कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, नीति आयोग द्वारा 40 केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को जनजातीय विकास के लिए एसटीसी निधियों के रूप में प्रति वर्ष उनके कुल योजना आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के लिए बाध्य किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि संबंधी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उनकी योजनाओं के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा एसटीसी निधियां व्यय की जाती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को दूर करते हुए इन पहलों को योजक प्रदान करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं / कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" के संबंध में डॉ. भागवत कराड़ द्वारा दिनांक 25.03.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3492 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं / कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

(i) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के कार्यक्रम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्र में अवसंरचना कार्यकलापों में अंतर को भरने के लिए एसटी जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधि निर्मुक्त की जाती है।

(ii) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना वर्ष 1997-98 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान', के तहत वित्त पोषित की जाती थी, इसे 2019-20 में एक अलग योजना के रूप में बनाया गया था।

(iii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली सहायता अनुदान की योजना के तहत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, मोबाइल डिस्पेंसरी, दस या अधिक बेड वाले अस्पताल आदि क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(iv) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना: स्कीम, देश में 54 चिह्नित जिलों जहां जनगणना 2001 के अनुसार अजजा की जनसंख्या 25% अथवा अधिक है तथा अजजा की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है, में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए है |यह स्कीम स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है तथा इसका लक्ष्य सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों में अंतर भरते हुए और शिक्षा हेतु आवश्यक वातावरण सृजित करके प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को घटाते हुए जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी करना है |

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए प्रति माह रु. 225/- और छात्रावासी के लिए प्रति माह रु. 525/- एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जिसके लिए 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है । बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह रु. 230 से रु. 1200 तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जिसके लिए 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है । बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vii) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: योजना चयनित छात्रों को विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल कुल 20 अवॉर्ड दिए जाते हैं। इनमें से 17 अवॉर्ड अजजा के लिए और 3 पुरस्कार (अवार्ड) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता / परिवार की आय प्रतिवर्ष रु. 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (उच्च शिक्षा) स्कीम (स्नातक स्तर): योजना का उद्देश्य नामित शीर्ष 246 संस्थानों में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर पढ़ाई करने के लिए मेधावी एसटी छात्रों को प्रोत्साहित करना है, जिनकी पैतृक आय प्रतिवर्ष रु. 6 लाख से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन फीस, निर्वाह खर्च और पुस्तकों और कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है। (वर्तमान में, जेआरएफ के लिए 25,000 / - रुपए और एसआरएफ के लिए 28,000 - रुपए)।

(ix) जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए): जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को भरने के के लिए एक अंतरभरण उपाय के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी), लघु अवसंरचना आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है।

(x) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास: पीवीटीजी के विकास की योजना में शिक्षा, आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य नवीन कार्यकलापों जैसी गतिविधियों के लिए 18 राज्यों / अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी गतिविधियों के विकास की योजना है।

(xi) जनजातीय उत्पादों / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (केंद्रीय क्षेत्र की योजना): भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के तहत वर्ष 1987 में स्थापित एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जो जनजातीय उत्पादों के लिए एक सेवा प्रदाता तथा बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। यह

देश में 'ट्राइब्स इंडिया', के खुदरा दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। एक क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

(xii) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास: "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास " की योजना का आरम्भ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों से संबंधित लोगों, जिनकी पूर्ण आजीविका एमएफपी के संग्रहण तथा एकत्रण पर निर्भर है को अपेक्षित सुरक्षा नेट और सहायता प्रदान कराने के लिए किया गया था।

आरम्भ में, इस योजना को संविधान की अनुसूची V के तहत शामिल क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्यान्वित किया गया था और दस एमएफपी वस्तुओं को शामिल किया गया था। फरवरी, 2019 में, योजना के दिशा-निर्देशों को विभिन्न हितधारकों और ट्राइफेड के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधित किया गया था और 10 एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी को संशोधित करते समय, जो शुरुआत से ही इस योजना का हिस्सा थीं, एमएसपी सूची में 40 और एमएफपी वस्तु जोड़े गए थे। तत्पश्चात, एमएसपी सूची में और अधिक वस्तुओं को शामिल किया गया एवं मंत्रालय ने एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी को संशोधित किया। इस योजना में अब कुल 73 वस्तुएं शामिल हैं।

(xiii) राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एनएसटीएफडीसी/एसटीएफडीसीएस) को सहायता: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 10.04.2001 में स्थापित एक शीर्ष संगठन है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

(xiv) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता : मंत्रालय नई टीआरआई स्थापित करने, जहाँ यह मौजूद नहीं थे और अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाने के लिए वर्तमान टीआरआई के कामकाज को मजबूत करने के लिए '**जनजातीय अनुसंधान संस्थानों** (टीआरआई) को सहायता' की योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को समर्थन प्रदान करता है ।

(xv) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा: जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा' योजना के माध्यम से, समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और चित्र प्रतियोगिता, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म बनाना, प्रकाशन प्रकाशित करना जिससे महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डाला गया, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की उपलब्धियों और राज्य विभागों के अलावा नियमित अंतराल पर अन्य विज्ञापन आदि शामिल हैं। जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतरों को भरने के दृष्टिकोण, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है जहां विशेषज्ञ मौजूद है और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय संस्कृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में अग्रणी शोध को आगे बढ़ाते हुए एक छाप छोड़ी है।

*****